मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई 2010—आषाढ़ 18, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

क्र. ई-1-243-2010-5-एक.—श्रीमती रजनी उइके, भाप्रसे (1999) उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जात है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रजनी उइके, द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993), सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश केवल सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यभार से मुक्त होंगे और उक्त तिथि से उनकी मूल पदस्थापना संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के पद पर की जाती है.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2010

क्र. ई-5-460-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा प्रमुख सचिव, अपरम्परागत ऊर्जा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिनांक 19, 20 जून तथा 4 जुलाई 2010 का सार्वजनिक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है. उक्त अवकाश अवधि में उनके विभाग का प्रभार श्री सेवाराम, भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपा गया है.

(2) राज्य शासन उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सेवाराम के स्थान पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984) प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का प्रभार उक्त अवधि में सौंपा जाता है.

(3) श्री आलोक श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984)की अवकाश अवधि में श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989), सचिव, ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपरम्परागत ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-464-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 22 से 30 जून 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री सेवाराम, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-556-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग जैन, आयएएस., सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2010

क्र. ई-5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक, कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. सुरेश की अवकाश की अवधि में श्री जी. पी. सिंघल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सुरेश द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2010

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश को दिनांक 21 से 23 जून 2010 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-485-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री के. पी. सिंह, आयएएस., वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2010 द्वारा दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2010 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 23 जून से 9 जुलाई 2010 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 28 जून से 9 जुलाई 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 जून एवं 10, 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-414-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री राघव चन्द्रा, आयएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2010 द्वारा दिनांक 21 जून से 9 जुलाई 2010 तक, उन्नीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19, 20 जून एवं 10, 11 जुलाई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री राघव चन्द्रा की अवकाश में श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ राहत आयुक्त तथा पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2010

क्र. ई-5-757-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अरूण कोचर, आयएएस., आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं संचालक, विमानन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2010 द्वारा दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 17 मई से 1 जून 2010 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., संचालक ग्रामीण रोजगार को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल से 1 मई 2010 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2010

क्र. ई-5-561-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2010 द्वारा दिनांक 19 मई से 9 जून 2010 तक, बाईस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 19 मई से 5 जून 2010 तक, अठारह का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 7 से 11 जून 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2010

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री विनोद कुमार, आयएएस., आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक 17 मई से 5 जून 2010 तक, बीस दिन के स्वीकृत एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 17 मई से 11 जून 2010 तक, छब्बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 मई 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई-5-861-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री के. वासुकी, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 21 मई से 9 जून 2010 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री के. वासुकी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-860-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 20 से 31 मई 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

सूचना

क्र. एफ. 9-1-2004-ब-सोलह.—यतः, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों पर करने का आशय रखती है.

अतएव, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तावित विस्तारण पर कोई आपत्ति हो तो, लिखित में अपनी आपत्ति राज्य सरकार, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल में, इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा:—

सारणी

स्थापनाओं का विवरण (1)	क्षेत्र जहां स्थापनाएं स्थित है (2)
व्यक्तियों, न्यासों, सोसाइटियों या अन्य संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं (सार्वजनिक, निजी, सहायता या आंशिक सहायता प्राप्त संस्थाओं सहित) जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित है.	क्षेत्र, जहां उक्त अधिनियम की धारा-1 (3) और 1 (5) पूर्व से ही प्रवृत्त की जा चुकी है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंगला भालेरॉव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

क्र. एफ. 9-1-2004-ब-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंगला भालेरॉव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2010

NOTICE

F. No. 9-1-2004-B-XVI.—WHEREAS, in pursuance of the provisions of sub-section (5) of section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) the State Government, with the approval of the Central Government, intends to extend the provisions of the said Act to class of establishments specified in the table below.

NOW, THEREFORE, Notice is hereby given that any person having objection to the proposed extension of the provisions of the aforesaid Act may submit his objection in writing to the State Government in the Labour Department, Mantralaya, Bhopal within six months from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette."

TABLE

Description of Establishments	Areas in which the Establishments are situated
(1)	(2)
Educational Institutions (including public, Private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other originations, wherein 20 or more persons are employed on any day of the preceding twelve months.	Areas where the aforesaid Act has already been brought into force under section 1 (3) and 1 (5) of the Act.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
MANGLA BHALERAO, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

सूचना

क्र. एफ. 9-3-2005-ब-सोलह.—यतः, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्ग पर करने का आशय रखती है.

अतएव, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तावित विस्तारण पर कोई आपत्ति हो तो, लिखित में अपनी आपत्ति राज्य सरकार, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल में, इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा:—

सारणी

स्थापनाओं का विवरण	क्षेत्र जहां स्थापनाएं स्थित है
(1)	(2)
चिकित्सा संस्थानों, जिनमें निगमित क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, पूर्ण और निजी स्वामित्व चिकित्सालय तथा नर्सिंग होम सम्मिलित हैं जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित है.	क्षेत्र, जहां उक्त अधिनियम की धारा-1 (3) और 1 (5) पूर्व से ही प्रवृत्त की जा चुकी है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंगला भालेरॉव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

क्र. एफ. 9-3-2005-ब-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंगला भालेरॉव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2010

NOTICE

F. No. 9-3-2005-B-XVI.—WHEREAS, in pursuance of of the provisions sub-section (5) of section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) the State Government, with the approval of the Central

Government, intends to extend the provisions of the said Act to class of establishments specified in the table below.

Now, THEREFORE, Notice is hereby given that any person having objection to the proposed extension of the provisions of the aforesaid Act may submit his objection in writing to the State Government in the Labour Department, Mantralaya, Bhopal within six months from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

TABLE

Description of Establishments	Areas in which the Estabkishments are situated
(1)	(2)
Medical Institutions including corporate sector, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals and nursing homes wherein 20 or more persons are employed on any day of the preceding twelve months.	Areas where the aforesaid Act has already been brought into fore under section 1(3) and 1(5) of the Act.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
MANGLA BHALERAO, Dy. Secy.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

क्र. एफ. 3-30-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा -प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
2	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री जयभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
4	श्रीमती सपना एम. लोवंशी	डिप्टी कलेक्टर
	सागर संभाग	
5	कु. विनीता जैन	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
6	श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री कृष्ण कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
	भोपाल संभाग	
8	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
9	श्री मोतीलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
10	श्री सुशील कुमार	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
11	श्री शिरोमन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक(सश्रेय)
12	श्री बृजकिशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
13	श्री विश्राम शाक्य	राजस्व निरीक्षक(सश्रेय)
14	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
15	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक
16	श्री रामकुमार जाटव	राजस्व निरीक्षक
17	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक
	रीवा संभाग	
18	श्री एम.सी.बी. चक्रवर्ती	सहायक कलेक्टर
19	श्री रामकनेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
20	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
21	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
22	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
23	श्री ओमप्रकाश बेड़ा	राजस्व निरीक्षक
24	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
25	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक
	निम्नस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड़	नायब तहसीलदार
2	श्री बृजबिहारी दुबे	नायब तहसीलदार
	सागर संभाग	
3	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
4	श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
5	श्री नवल किशोर प्रभाकर	राजस्व निरीक्षक
6	श्री लटूरीलाल करोरिया	सहा. अधि., भू-अभिलेख
7	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार
	ग्वालियर संभाग	
8	श्री लालसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
9	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
10	श्री लोकमणि शाक्य	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक
	रीवा संभाग	
13	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर
14	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
15	श्री भुवनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
17	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
18	श्री कोमल सिंह बनवासी	राजस्व निरीक्षक
19	श्री हरिहर प्रशाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
20	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
21	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
22	श्री एच.एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार
	इंदौर संभाग	
23	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री सरदारसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
25	श्री भगवानसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
26	श्री रमेशसिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
27	श्री मोहम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक
28	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
29	श्री सुनील करवरे	राजस्व निरीक्षक
30	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री शिवकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
32	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
33	श्री बालचन्द्र देवलिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख
34	श्री पुरुषोत्तम लाड़	सहा. अधी., भू-अभिलेख
35	श्री कुंवर सिंह चौहान	सहा. अधी., भू-अभिलेख
36	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
37	श्री नंदकिशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक

क्र. एफ. 3-48-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्रीमती पारू मालवीय	हाउस मास्टर
	निम्नस्तर	
	इन्दौर संभाग	
1	श्रीमती कल्पना पंवार	मेट्रन
2	श्री उमेश सिंह ठाकुर	मेट्रन
3	श्री प्रदीप बागड़े	शिक्षक
	भोपाल संभाग	
4	श्री ऋषि दुबे	मेट्रन
5	श्री सुकेशी तिर्की	हाउस मास्टर
	जबलपुर संभाग	
6	श्री शशिकान्त ठाकुर	मेट्रन
7	श्री अरूण कुमार बढोलिया	मेट्रन
8	श्री अनुज कुमार शर्मा	हाउस मास्टर
	सागर संभाग	
9	श्री अकबर खान	हाउस मास्टर
	उज्जैन संभाग	
10	श्रीमती शोभना चौहान	शिक्षक
11	श्री राकेश मोहन दुबे	मेट्रन
12	श्री मुक्ता अवस्थी	हाउस मास्टर

भोपाल, दिनांक 18 जून 2010

क्र. एफ. 3-2-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

होशंगाबाद संभाग

1	श्रीमती श्वेता पंवार	डिप्टी कलेक्टर

उज्जैन संभाग

2	श्रीमती लक्ष्मी गामड़	डिप्टी कलेक्टर

जबलपुर संभाग

3	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
4	श्रीमती निधि सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्रीमीत मधुरानि तेवतिया	सहायक कलेक्टर
6	कु. सुनीता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
7	श्री वी. किरण गोपाल	सहायक कलेक्टर
8	श्री अशोक कुमार दुबे	सहा.अधी.,भू-अभिलेख
9	श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री कमलेश पुरी	डिप्टी कलेक्टर

इंदौर संभाग

11	श्रीमती कल्पना आनंद	डिप्टी कलेक्टर
12	डॉ. अभय सिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर
13	श्रीमती एकता जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
14	श्री बी.एस. सोलंकी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

भोपाल संभाग

15	श्री विशाल चौहान	डिप्टी कलेक्टर
16	कु. लता शरणागत	डिप्टी कलेक्टर
17	श्री इच्छित गढपाले	डिप्टी कलेक्टर
18	कु. वंदना मेहरा	डिप्टी कलेक्टर

सागर संभाग

19	श्री विशेष गढपाले	सहायक कलेक्टर
20	कु. निमिषा जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
21	श्री राजकुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर

ग्वालियर संभाग

22	श्री रिंकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर

निम्नस्तर

होशंगाबाद संभाग

1	श्री प्रदीप जैन	डिप्टी कलेक्टर
2	कु. प्रियंका पालीवाल	डिप्टी कलेक्टर

उज्जैन संभाग

3	श्री प्रेमचन्द मैहर	अधीक्षक, भू-अभिलेख

जबलपुर संभाग

4	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
5	श्री नारदसिंह पन्द्रे गौड़	राजस्व निरीक्षक
6	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर

इंदौर संभाग

7	श्री महेन्द्र सिंह कवचे	डिप्टी कलेक्टर
8	श्री सोहन कनाश	डिप्टी कलेक्टर
9	कु. शालीनी सोरते	डिप्टी कलेक्टर
10	श्रीमती अनुपमा निनामा	डिप्टी कलेक्टर
11	श्री खुमानसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री गोविन्द्र सिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
13	श्री कैश्या सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री हिरालाल इस्क्या	राजस्व निरीक्षक
15	श्री रामदास मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
16	श्री कुलदीप खेड़े	राजस्व निरीक्षक
17	श्री ओंकार मनाग्रे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
19	श्री महेन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
20	श्री रणजीत सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
21	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
22	श्री राजाराम कन्नौज	राजस्व निरीक्षक
23	श्री सरदार सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
24	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
25	श्री शक्तिसिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
26	श्री भागीरथ वाखला	राजस्व निरीक्षक
27	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
28	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
29	श्री काशीराम वास्कले	राजस्व निरीक्षक
30	श्री विनयमोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
32	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

33	श्री विवेक कुमार रघुवंशी	डिप्टी कलेक्टर
34	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर
35	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार

रीवा संभाग

36	कु. विमलेश सिंह	डिप्टी कलेक्टर

सागर संभाग

37	श्री रमेश कुमार सिंह	डिप्टी कलेक्टर
38	श्री निर्मल कुमार साहू	सहा. अधी., भू-अभिलेख
39	श्री शारदा प्रसाद चड़ार	सहा. अधी., भू-अभिलेख
40	श्री पुरुषोत्तम लाल मरावी	सहा. अधी., भू-अभिलेख
41	श्री राजेन्द्र मिश्र	नायब तहसीलदार
42	श्री दिनेश असाटी	राजस्व निरीक्षक
43	श्री संदीप विश्वास	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

44	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर
45	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर

क्र. एफ. 3-7-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1	श्रीमती शोभना चौहान	शिक्षक

इंदौर संभाग

2	श्री प्रदीप बागड़े	शिक्षक

(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री ऋषि दुबे	मेट्रन

सागर संभाग

2	श्री अकबर खान	हाउस मास्टर

जबलपुर संभाग

3	श्री अरूण कुमार बडौलिया	हाउस मास्टर
4	श्रीमती पारू मालवीय	हाउस मास्ट

इंदौर संभाग

5	श्री ऋषि ड़ोगरे	हाउस मास्टर

क्र. एफ. 3-18-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख एवं न्यायिक विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया प्रश्नपत्र तृतीय-विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1	श्री विशेष गढपाले	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
2	श्री संदीप विश्वास	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

3	श्री सतेन्द्र सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

4	श्री एम.सीबी. चक्रवर्ती	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्री जे.पी. आईरिन सितिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
6	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

जबलपुर संभाग

7	श्रीमती सुरभी सोनी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक
9	श्रीमती रक्षा दुबे (चौबे)	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)
	इंदौर संभाग	
10	डॉ. अभय सिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर
	निम्नस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक
2	श्री कृष्ण कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
	भोपाल संभाग	
4	श्री मोतीलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
5	श्री सुशील कुमार	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
6	श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
7	श्री कमल किशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
8	श्री प्रदीप ऋषीश्वर	राजस्व निरीक्षक
9	श्री विश्राम शाक्य	राजस्व निरीक्षक
10	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार
11	श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
12	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधी. भू-अभिलेख
13	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	सहा. अधी. भू-अभिलेख
14	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक
15	श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
16	श्री छोटेसिंह गुर्जर	सहा.अधी. भू-अभिलेख
17	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
18	श्री रामकुमार जाटव	राजस्व निरीक्षक
19	श्री राकेश कुमार ढोड़ी	राजस्व निरीक्षक
20	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
21	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
22	श्री पूनमचन्द्र जांगड़े	अधीक्षक भू-अभिलेख
	रीवा संभाग	
23	श्री रामाश्रय सिंह	सहा. अधी. भू-अभिलेख
24	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
25	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
26	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक
27	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक
28	श्री रामकलेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
29	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
30	श्री लालाराम सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
32	श्री रामसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
33	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
34	श्री भुवनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
35	श्री कोमल सिंह बनवासी	राजस्व निरीक्षक
36	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
37	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
38	श्री एच.एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार
39	श्री भीमसिंह खराड़ी	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
40	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
41	श्री जगभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
42	श्री रामकृष्ण साहू	राजस्व निरीक्षक
43	श्री प्रमोद कुमार उपगड़े	राजस्व निरीक्षक
	इंदौर संभाग	
44	श्री खुमान सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
45	श्री गोविन्द सिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
46	श्री कैश्या सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
47	श्री हिरालाल इस्क्या	राजस्व निरीक्षक
48	श्री गजानंद चौहान	राजस्व निरीक्षक
49	श्री कुलदीप खेडे	राजस्व निरीक्षक
50	श्री ओंकार मनाग्रे	राजस्व निरीक्षक
51	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
52	श्री राजाराम कन्नोज	राजस्व निरीक्षक
53	श्री बलराम चौहान	राजस्व निरीक्षक
54	श्री सरदार सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
55	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
56	श्री विजय उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
57	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
58	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
59	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	राजस्व निरीक्षक
60	श्री सुरेश चन्द्र जमरे	राजस्व निरीक्षक
61	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
62	श्री शंकर सिंह कछवाये	राजस्व निरीक्षक

क्र. एफ.-3-26-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र द्वितीय-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
1	श्री रजनीश कुमार पाण्डे	सहायक वन संरक्षक
2	श्री अरूण प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक
3	श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
4	श्री लक्ष्मीकांत वासनिक	सहायक वन संरक्षक
5	श्री अशोक कुमार हनवते	सहायक वन संरक्षक
6	श्रीमती जानकी यादव	सहायक वन संरक्षक
7	श्री थानसिंह कुमरे	सहायक वन संरक्षक
8	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	वन क्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
9	श्रीमती प्रतिभा पाठक	सहायक वन संरक्षक
10	श्री व्ही.के. नगरिया	सहायक वन संरक्षक
	इंदौर संभाग	
11	श्री हरिश कुमार दीक्षित	सहायक वन संरक्षक
12	श्री राकेश कुमार सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
13	श्री राहुल बेन्जामिन	सहायक वन संरक्षक
14	श्री आर.एन. सक्सेना	सहायक वन संरक्षक
15	श्री जे.के. जैन	वन क्षेत्रपाल
16	श्री सुमुख जोशी	वन क्षेत्रपाल
17	श्री भगवती लाल पंवार	सहायक वन संरक्षक
18	श्री जयन्तीलाल पाटीदार	सहायक वन संरक्षक
19	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	सहायक वन संरक्षक
20	श्री प्यारसिंह ठाकुर	सहायक वन संरक्षक
21	श्री राम सुशील श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
22	श्री मोहनलाल नांदले	सहायक वन संरक्षक
23	श्री प्रदीप कुमार पाराशर	वन क्षेत्रपाल
24	श्री राजाराम पाल	वन क्षेत्रपाल
	भोपाल संभाग	
25	श्री आर.के. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
26	श्री सत्यनारायण प्रजापति	सहायक वन संरक्षक
27	श्री नरेन्द्रदेव शर्मा	सहायक वन संरक्षक
28	श्री एम.डी. सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल
29	श्री आर.एस. तौमर	सहायक वन संरक्षक
30	श्री शेखर जंगले	सहायक वन संरक्षक
31	श्री आर.एस. भदोरिया	सहायक वन संरक्षक
32	श्री तरूण कुमार कौरव	सहायक वन संरक्षक
33	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक

क्र. एफ.-3-39-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास-तृतीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री घनश्याम सिरसाम	सहायक संचालक
	भोपाल संभाग	
2	श्रीमती बिन्दु सुनील	सहायक संचालक
	सागर संभाग	
3	श्री अरूण कुमार राठौर	सहायक संचालक

भोपाल, दिनांक 22 जून 2010

क्र. एफ.-3-3-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी	उप पंजीयक (सश्रेय)
	भोपाल संभाग	
2	श्री अमीत जैन	पंजीयन लिपिक

क्र. एफ.-3-10-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र प्रशासनिक,

राजस्व विधी तथा प्रक्रिया भाग-बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इंदौर संभाग

1	श्री कैश्या सोलंकी	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
2	श्री ओंकार मनाग्रे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री अभय कुमार भटोरे	राजस्व निरीक्षक
4	श्री संतोष कोठारी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री विजय उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
6	कु. स्वाती मीणा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)

सागर संभाग

7	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
8	श्री राजकुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर
9	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे	डिप्टी कलेक्टर

ग्वालियर संभाग

11	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी	सहायक कलेक्टर

जबलपुर संभाग

13	श्रीमती मधुरानि तेवतिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
14	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
16	श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते	नायब तहसीलदार

निम्नस्तर

इन्दौर संभाग

1	श्री कुलदीप खेड़े	राजस्व निरीक्षक
2	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
3	श्री रणजीत सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
4	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री सरदार सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
6	श्री भगवान सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
7	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
8	श्री शक्तिसिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
9	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
10	श्री बलराम चौहान	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
12	श्री मोहम्मद अजाय	राजस्व निरीक्षक
13	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री विनोद साहू	राजस्व निरीक्षक
15	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
17	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	राजस्व निरीक्षक
18	श्री शिवाकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
19	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक
20	श्री देवकुंवर जामौद	नायब तहसीलदार

सागर संभाग

21	श्री संदीप विश्वास	राजस्व निरीक्षक
22	श्री बैजनाथ सिंह मरावी	सहा.अधी., भू-अभिलेख
23	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक
24	श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

25	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर
26	कु. लता शरणागत	डिप्टी कलेक्टर
27	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार
28	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
29	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
30	श्री लटुरीलाल करोलिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख

ग्वालियर संभाग

31	श्री देवीसिंह तौमर	सहा. अधी. भू-अभिलेख
32	श्री रिंकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर
33	श्रीमती शुभ्रता त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

34	श्रीमती सुनिता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
35	श्री नारदसिंह पन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
36	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
37	श्रीमती अंशु सोनी	नायब तहसीलदार

उज्जैन संभाग

38	श्री वीरसिंह अवासिया	नायब तहसीलदार
39	श्री बाबूलाल खराड़ी	सहा. अधी. भू-अभिलेख

(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
40	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर
41	कु. विमलेश सिंह	डिप्टी कलेक्टर.

क्र. एफ.-3-28-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्न-पत्र स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री अकबर खान	हाउस मास्टर
	निम्नस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री शशिकान्त ठाकुर	मेट्रन
2	श्रीमती पारू मालवीय	हाउस मास्टर
3	श्री अनुज कुमार शर्मा	हाउस मास्टर
	इंदौर संभाग	
4	श्री उमेश सिंह ठाकुर	मेट्रन
5	श्री ऋषि डोगरे	हाउस मास्टर
6	श्रीमती कल्पना पंवार	मेट्रन
7	श्रीमती सुजाता शुक्ला	मेट्रन
	भोपाल संभाग	
4	श्रीमती सुकेशी तिर्की	हाउस मास्टर
5	कु. सोनिला डेविड	प्रशिक्षक.

क्र. एफ.-3-14-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र द्वितीय प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री रमेश कुमार सिंह	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
	भोपाल संभाग	
2	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
3	श्री मोतीलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
	ग्वालियर संभाग	
4	श्री प्रदीप कुमार ऋषीश्वर	राजस्व निरीक्षक
5	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
6	श्री प्रशांत अग्रवाल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
	रीवा संभाग	
7	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
8	श्रीमती मधुरानि तेवतिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
9	श्रीमती सुनिता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
11	श्रीमती शिल्पा जैन	जिला संयोजक
	इंदौर संभाग	
12	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
14	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
2	श्रीमती शोभा बागड़े	अधीक्षक, भू-अभिलेख
3	श्री लुहार सिंह चिचाम	सहा. अधी., भू-अभिलेख
4	श्री नवलकिशोर प्रभाकर	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
5	श्री आर.एस. इरपाचे	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	ग्वालियर संभाग	
6	श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधी. भू-अभिलेख
8	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
9	श्री मुकेश शर्मा	सहा. अधी., भू-अभिलेख
10	श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	सहा. अधी., भू-अभिलेख
13	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
14	श्री अमरसिंह उईके	जिला संयोजक
15	श्री रामकलेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
16	श्री कोमल सिंह बनवासी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
18	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
19	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
20	श्रीमती शकुन्ता डामोर	जिला संयोजक
	जबलपुर संभाग	
21	श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड	राजस्व निरीक्षक
22	श्रीमती भावना पठारिया	नायब तहसीलदार
23	श्रीमती वत्सला शिवहरे	जिला बन्दोबस्त अधिकारी
24	श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम	साह. परियोजना प्रशासक
	इंदौर संभाग	
25	श्री मोबिन खान	राजस्व निरीक्षक
26	श्री अभय भटोरे	राजस्व निरीक्षक
27	श्री हुकूमसिंह निंगवाल	राजस्व निरीक्षक
28	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
29	श्री भगवान सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
30	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
31	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
32	श्री मोहम्मद अयाज	राज़स्व निरीक्षक
33	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
34	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
35	श्री महेन्द्र कुमार बडोले	राजस्व निरीक्षक
36	श्री ओम प्रकाश बेड़ा	राजस्व निरीक्षक
37	श्री शिवकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
38	श्री पुरुषोत्तम लाड़	सहा. अधी., भू-अभिलेख
39	श्री पंकज यादव	नायब तहसीलदार.

क्र. एफ. 3-10-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	इंदौर संभाग	
1	श्री कैश्या सोलंकी	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
2	श्री ओंकार मनाग्रे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री अभय कुमार भटोरे	राजस्व निरीक्षक
4	श्री संतोष कोठारी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री विजय उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
6	कु. स्वाती मीणा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
	सागर संभाग	
7	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
8	श्री राजकुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर
9	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे	डिप्टी कलेक्टर
	ग्वालियर संभाग	
11	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी	सहायक कलेक्टर
	जबलपुर संभाग	
13	श्रीमती मधुरानि तेवतिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
14	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
16	श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते	नायब तहसीलदार
	निम्नस्तर	
	इन्दौर संभाग	
1	श्री कुलदीप खेड़े	राजस्व निरीक्षक
2	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
3	श्री रणजीत सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
4	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री सरदार सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
6	श्री भगवान सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
7	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
8	श्री शक्तिसिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
9	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
10	श्री बलराम चौहान	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
12	श्री मोहम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक
13	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री विनोद साहू	राजस्व निरीक्षक
15	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
17	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	राजस्व निरीक्षक
18	श्री शिवाकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
19	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक
20	श्री देवकुंवर जामौद	नायब तहसीलदार

सागर संभाग

21	श्री संदीप विश्वास	राजस्व निरीक्षक
22	श्री बैजनाथ सिंह मरावी	सहा. अधी., भू-अभिलेख
23	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक
24	श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

25	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर
26	कु. लता शरणागत	डिप्टी कलेक्टर
27	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार
28	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
29	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
30	लटुरीलाल करोलिया	सहा. अधी., भू-अभिलेख

ग्वालियर संभाग

31	श्री देवीसिंह तौमर	सहा. अधी., भू-अभिलेख
32	श्री रिंकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर
33	श्रीमती शुभ्रता त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

34	श्रीमती सुनिता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
35	श्री नारदसिंह पन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
36	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
37	श्रीमती अंशु सोनी	नायब तहसीलदार

उज्जैन संभाग

38	श्री वीरसिंह अवासिया	नायब तहसीलदार
39	श्री बाबूलाल खराड़ी	सहा. अधी., भू-अभिलेख

रीवा संभाग

40	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर
41	कु. विमलेश सिंह	डिप्टी कलेक्टर

क्र. एफ. 3-14-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र द्वितीय प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

सागर संभाग

1	श्री रमेश कुमार सिंह	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

भोपाल संभाग

2	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
3	श्री मोतीलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)

ग्वालियर संभाग

4	श्री प्रदीप कुमार ऋषीश्वर	राजस्व निरीक्षक
5	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
6	श्री प्रशांत अग्रवाल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)

रीवा संभाग

7	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

8	श्रीमती मधुरानि तेवतिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
9	श्रीमती सुनिता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
11	श्रीमती शिल्पा जैन	जिला संयोजक

इन्दौर संभाग

12	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
14	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
2	श्रीमती शोभा बागड़े	अधीक्षक, भू-अभिलेख
3	श्री लुहार सिंह चिचाम	सहा. अधी., भू-अभिलेख
4	श्री नवलकिशोर प्रभाकर	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
5	श्री आर. के. इरपाचे	अधीक्षक, भू-अभिलेख

ग्वालियर संभाग

6	श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधी. भू-अभिलेख
8	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
9	श्री मुकेश शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख
10	श्री राकेश कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
13	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

14	श्री अमरसिंह उईके	जिला संयोजक
15	श्री रामकलेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
16	श्री कोमलसिंह बनवासी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
18	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
19	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

20	श्रीमती शकुन्ता डामोर	जिला संयोजक

जबलपुर संभाग

21	श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड	राजस्व निरीक्षक
22	श्रीमती भावना पठारिया	नायब तहसीलदार
23	श्रीमती वत्सला शिवहरे	जिला बन्दोबस्त अधिकारी
24	श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम	सहा. परियोजना प्रशासक

इन्दौर संभाग

25	श्री मोबिन खान	राजस्व निरीक्षक
26	श्री अभय भटोरे	राजस्व निरीक्षक
27	श्री हुकूम सिंह निंगवाल	राजस्व निरीक्षक
28	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
29	श्री भगवान सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
30	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
31	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
32	श्री मोम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक
33	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
34	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
35	श्री महेन्द्र कुमार बडोले	राजस्व निरीक्षक
36	श्री ओमप्रकाश बेड़ा	राजस्व निरीक्षक
37	श्री शिवकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
38	श्री पुरूषोत्तम लाड़	सहा. अधी. भू-अभिलेख
39	श्री पंकज यादव	नायब तहसीलदार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2010

क्र. एफ-5-14-2010-उन्तीस-2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की स. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय सेवा के अधिकारी जिनकी सेवाएं विधि विधायी और कार्य विभाग के आदेश क्र. फा. 17 (ई) 51-2005-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 8 जून 2010 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम ग्वालियर के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

अनु. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	जिला उपभोक्ता फोरम
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनील कुमार अवस्थी	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, ग्वालियर.

No. F-5-14-2010-XXIX -2.—Government of Madhya Pradesh Department of Law and Legislative Affairs, have made available services in anticipation, to this department, of following Officers of Higher Judicial Service on deputation for the post of President District Consumer Disputes Redressal Forum, In exercise to the power conferred by sub-section (1-A) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) and on recommendation of the Selection Committee, the State Government hereby appoint following officers of Higher Judicial Service as President District Consumer Disputes Redressal Forum temporarily till further orders, at the place stated against their names in column No. (3) from the date the take over charge of their office:—

S.No.	Name of Officer of Higher Judicial Service	Name of the District Consumer Disputes Redressal Forum, in which they are appointed as President
(1)	(2)	(3)
1	Shri Sunil Kumar Avasthi.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Gwalior.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2010

क्र. एफ-5-14-2010-उन्तीस-(2).— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की स. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय सेवा के अधिकारियों जिनकी सेवाएं विधि विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. एफ. 17 (ई) 51-2005-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 21 जून 2010 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पद उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनि.) तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगौन जिला मण्डलेश्वर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
2	श्री धीमन नारायण शुक्ला, विशेष न्यायाधीश अनु. जा./ज. जा. (अत्या. निवा.) अधिनियम बैतूल.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी.
3	श्री ब्रज किशोर श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) उच्च न्यायालय, जबलपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. उपाध्याय, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2010

क्र. एफ 1(ए) 31-2007-ब-2-दो.—(1) श्री के. सी. जैन, भापुसे., सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड को दिनांक 29 मई से 4 जून 2010 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश (Ex- India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री के. सी. जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री डी. सी. शर्मा, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री के. सी. जैन, भापुसे, सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल द्वारा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. सी. शर्मा, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2010

क्र. एफ 1(ए) 127-2004-ब-2-दो.—(1) श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे, सेनानी 14वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 29 मई से 4 जून 2010 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सेनानी 14वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे, द्वारा सेनानी 14वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 14वीं वाहिनी, विलबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2010

क्र. 1(ए) 190-91-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2009 द्वारा श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 6 जनवरी 2010 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को दिनांक 2 से 6 जनवरी 2010 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. आदेश समसंख्यक दिनांक 21 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2010

क्र. एफ 1(ए) 155-90-ब-2-दो.—(1) श्री मुकैश जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल को दिनांक 21 जून से 9 जुलाई 2010 तक, उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19, 20 जून 2010 एवं 10, 11 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मुकैश जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री मुकैश जैन, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री मुकैश जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री मुकैश जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकैश जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ 1(ए) 33-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन/कल्याण) पु.मु., भोपाल को दिनांक 26 अप्रैल से 25 मई 2010 तक तीस दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, को स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन/कल्याण) पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2010

क्र. एफ 1(ए) 1-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री एस. के. नायक, भापुसे, निदेशक (दूरसंचार) रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर को उनकी अस्वस्थता की अवधि के लिये दिनांक 20 से 26 अप्रैल 2010 तक, सात दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. नायक, भापुसे, को स्थानापन्न निदेशक (दूरसंचार) रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. नायक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. नायक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जून 2010

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 25 जून 2008 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, श्री दीप कुमार केसरवानी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) जबलपुर, (2) नरसिंहपुर, (3) मण्डला, (4) सागर, (5) दमोह, (6) सिवनी, (7) छिन्दवाड़ा, (8) रीवा, (9) सतना, (10) पन्ना, (11) सीधी, (12) बालाघाट, (13) शहडोल, (14) कटनी, (15) डिण्डोरी, (16) उमरिया.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One), dated 25th June 2008 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 11th July 2008, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Deep Kumar Kesarwani, Additional Sessions Judge, Jabalpur as a Special Judge with Head Quarter at Jabalpur for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation namely :—

REVENUE DISTRICTS

(1) Jabalpur, (2) Narsinghpur, (3) Mandla, (4) Sagar, (5) Damoh, (6) Seoni, (7) Chhindwara, (8) Rewa, (9) Satna, (10) Panna, (11) Sidhi, (12) Balaghat, (13) Shadol, (14) Katni, (15) Dindori, (16)Umaria.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 25 जून 2008 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री अनुपम श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय इन्दौर होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) इन्दौर, (2) धार, (3) रतलाम, (4) झाबुआ, (5) मन्दसौर, (6) प. निमाड़ (खरगौन), (7) उज्जैन, (8) देवास, (9) शाजापुर, (10) पू. निमाड़ (खण्डवा), (11) नीमच, (12) बड़वानी.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One), dated 25th June 2008 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 11th July 2008, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Anupam Shrivastava, Additional Sessions Judge, Indore as a Special Judge with Head Quarter at Indore for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation namely :—

REVENUE DISTRICTS

(1) Indore, (2) Dhar, (3) Ratlam, (4) Jhabua, (5) Mandsaur, (6) West Nimar (Khargone), (7) Ujjain, (8) Dewas, (9) Shajapur, (10) East Nimar (Khandwa) (11) Neemuch, (12) Barwani.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2010

फा. क्र. 17(ई)-515-2008-इक्कीस-ब(दो)725.—विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3(2) के खण्ड (आई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री वेदप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

F. No. 17(E)-515-2008-XXI-B(Two)725.—In exercise of the power conferred by clause (i) of rule 3(2) of the Legal Services Authorities, Act, 1996. the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby, nominate Shri Vedprakash Sharma, Chairman, District Legal Services Authorities, Sehore, Ex-Officio Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authorities for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2010

फा. क्र. 1(बी)-3-2005-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2004 एवं 16 जुलाई 2004 द्वारा नियुक्त निम्न शास. अभिभाषक/अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, देवास के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से, कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है :—

1. श्री गिरीश मुंगी, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, देवास दिनांक 6-10-2004 से प्रथम तीन वर्ष 6-10-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 6-10-2010 तक.

2. श्री गजेन्द्र वशिष्ठ, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, देवास दिनांक 16-7-2004 से प्रथम तीन वर्ष 16-7-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16-7-2010 तक.

3. श्री हेमन्त शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, देवास दिनांक 16-7-2004 से प्रथम तीन वर्ष 16-7-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16-7-2010 तक.

4. श्री जगदीश वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, देवास दिनांक 16-7-2004 से प्रथम तीन वर्ष 16-7-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16-7-2010 तक.

5. श्री गोपाल चन्द्र तिवारी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, देवास दिनांक 16-7-2004 से प्रथम तीन वर्ष 16-7-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16-7-2010 तक.

6. श्री हिमलेश शर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील सोनकच्छ दिनांक 16-7-2004 से प्रथम तीन वर्ष 16-7-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16-7-2010 तक.

7. श्री भगवान सिंह चूडावत, अति. शा. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील कन्नौद दिनांक 16-7-2004 से प्रथम तीन वर्ष 16-7-2007 तद्उपरान्त पुनः तीन वर्ष दिनांक 16-7-2010 तक.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

फा. क्र. 1(बी)-31-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त श्री रवीन्द्र देसाई, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 23 सितम्बर 2009 से 22 सितम्बर 2012 तक 3 वर्ष के लिये कार्यकाल में अभिवृद्धि करता है यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर, बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2010

फा. क्र. 03-2009-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा श्री रूपानी भल्ला, अधिवक्ता, ए-1/2, बैरागढ़, जिला भोपाल को जिला मुख्यालय, भोपाल में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 29 अक्टूबर 2007 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से, जिला मुख्यालय, भोपाल में नोटरी व्यवसाय करनें का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 03-2009-इक्कीस-ब(दो).—द्वारा श्री अब्दुल समद, अधिवक्ता, 7-बानो मंजिल, न्यू कालोनी, जिंसी चौराहा के पास

जहांगीराबाद, जिला भोपाल को जिला मुख्यालय, भोपाल में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 8 जून 2007 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आदेश जारी होने की दिनांक से, जिला मुख्यालय, भोपाल में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2010

क्र. एफ. 2-69-2010-छब्बीस-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित प्रधान मजिस्ट्रेट को कॉलम (3) में दर्शायी तथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए पदानिहित करती है. अर्थात् :—

अनूसूची

अ.क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अशोकनगर	अशोकनगर	श्री पी.सी. आर्य, सीजेएम, अशोकनगर.

No. 2-69-2010-XXVI-2.—in exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates the Judicial Magistrate shown in coloumn No. 4 of the table as the Principal Magistrate of Juvenile Justice Board of the District as shown in coloumn (3) of the table drawn below, respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board	Name of the District	Name of the Principal Magistrate and Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ashoknagar	Ashoknagar	Shri P.C. Arya, C.J.M., Ashoknagar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमती वीणा तेलंग, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2010

क्र. डी-15-18-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-86-चौदह-3, दिनांक 31 मई 1988 द्वारा जिला सिवनी में स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, केवलारी मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत मलारी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	369/2	3.620
2	370/3	2.380
	कुल योग :	6.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्रीमती बिरसो बाई, रमेश, सिकना की भूमि.
दक्षिण में—गौशाला की भूमि एवं रास्ता.

पूर्व में—गौशाला की भूमि एवं रमेश की भूमि.
पश्चिम में—बंजारी/एम.पी.बी. हेतु आवंटित भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2010

क्र. डी-15-18-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2010

No. D-15-18-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosoure, open places or locality in the market area for which a market at Keolary in Seoni District has been established by this Department's Notification No. D-15-11-86-XIV-3, dated 31st May 1988 shall be the market yard namely :—

PLACE

An area of 6.000 Hectors land of below Mentioned Khasra Number at Nagar Palika Malari in Tehsil Keolary of District Seoni.

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectors)
(1)	(2)	(3)
1	369/2	3.620
2	370/3	2.380
	Total :	6.000

BOUNDED BY

On the North by—Land of Smt. Birsobai, Ramesh Sikna.
On the South by—Land of Cowshed and Road.
On the East by—Land of Cowshed and Ramesh.
On the West by—Alloted Land of M.P.B./Banjari.

By Order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2010

क्र. डी-15-18-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जून 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र केवलारी के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

क्षेत्र

(1) नगर पंचायत मलारी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

(1) खापा, (2) मोहगांव, (3) खरसारू, (4) मलारा, (5) घुड़सार, (6) बन्देली, (7) डोम, (8) बोथिया, (9) बिनेकी, (10) मस्कावाड़ा, (11) मुनगापार, (12) लोलोपार, (13) डोकरराजी, (14) जामुनपानी, (15) सरेखा, (16) बगलई, (17) कोहका, (18) सिरौली, (19) पीपरदौन, (20) देवरी, (21) केवलारी, (22) मलारी, (23) घानागाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2010

क्र. डी-15-18-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2010

No. D-15-18-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this Department's Notification even number dated 26th June

2010 the following area of Keolary shall be market yard namely :—

AREA

(1) An area within the limit of Nagar Palika Malari in Tehsil Keolary of District Seoni.

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the market yard namely :—

(1) Khapa, (2) Mohgown, (3) Kharsaru, (4) Malaara, (5) Ghudsar, (6) Bandeli, (7) Doom, (8) Bothiya, (9) Beneki, (10) Maskawada, (11) Mungapar, (12) Lolopar, (13) Doker Raji, (14) Jamunpani, (15) Sarekha, (16) Baglai, (17) Koheka, (18) Serouli, (19) Piperdoun, (20) Devri, (21) Keolary, (22) Malari, (23) Ghanagada.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2010

क्र. एफ-3-112-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-112-2009-बत्तीस, दिनांक 13 अप्रैल 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सागर विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बम्होरी	447/2, 448/2, 448/3, 448/4	3.60 एकड़ में से 82,000 वर्गफुट	निम्न घनत्व आवासीय.	आवासीय
		योग . .	82,000 वर्गफुट		

(2) उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-इक्कीस-ब-(एक).—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-43-2009 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26 अप्रैल 2010, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 7 मई 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित

संशोधन करता है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(1) अनुक्रमांक 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 26, 27, 52, 59, 66 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2	श्री रामसिंह कनौजिया श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	अनूपपुर	अनूपपुर कोतमा	अनूपपुर कोतमा
3	श्री केशव मणि सिंघल श्री दिलीप गुप्ता	अशोकनगर	अशोकनगर चंदेरी	अशोकनगर चंदेरी
6	श्रीमती दीपिका मालवीय श्री जाकिर हुसैन	बैतूल	बैतूल मुलताई	बैतूल मुलताई
9	श्री गंगाचरण दुबे	भोपाल	भोपाल	भोपाल
10	श्री अमोद आर्य	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
14	कु. मंजूलता चतुर्वेदी श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	दमोह	दमोह हटा	दमोह हटा
15	श्री अनिल कुमार छापरिया श्री मुकेश कुमार बाथम	दतिया	दतिया सेवढ़ा	दतिया सेवढ़ा
16	श्री राजकुमार वर्मा श्री सुधीर सिंह चौहान	देवास	देवास कन्नौद	देवास कन्नौद
23	श्री रामबरेश यादव	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
26	श्रीमती दीपाली शर्मा श्री जयदीप सिंह	होशंगाबाद	होशंगाबाद सोहागपुर	होशंगाबाद सोहागपुर
27	श्री संजीव कुमार गुप्ता	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
52	श्री राजेश कुमार रावतकर	सिवनी	1. सिवनी 2. लखानादौन	1. सिवनी 2. लखनादौन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	श्री गालिब रसूल श्री दयाराम अहिरवार	सीधी	सीधी मंझौली	सीधी मंझौली
66	श्री गंगाचरण शर्मा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
69	श्री के.पी. मरकाम	पूर्व निमाड़ मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव.''.

(2) अनुक्रमांक 69 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''70	श्री अरूण कुमार खराड़ी	पन्ना	पवई	पवई.''.

टिप्पणी.—जहां किसी सिविल जिले, में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हों वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's notification F. NO. 17(E)43-2009-XXI-B(1), dated 26th April, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 7th May, 2010 namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table,—

(1) for serial numbers 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 26, 27, 52, 59, 66 and 69 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall respectively be substituted, namely :—

S. No.	Name of Nyayadhikari	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2	Shri Ram Singh Kanojiya Shri Sanjay Pal Singh Bundela	Anuppur	Anuppur Kotma	Anuppur Kotma
3	Shri Keshav Mani Singhal Shri Dilip Gupta	Ashoknagar	Ashoknagar Chanderi	Ashoknagar Chanderi
6	Smt. Dipika Malviya Shri Jakir Hussain	Betul	Betul Multai	Betul Multai
9	Shri Ganga Charan Dubey	Bhopal	Bhopal	Bhopal
10	Shri Amod Arya	Bhopal	Berasia	Berasia
14	Ku. Manjulata Chaturvedi Shri Raghuveer Prasad Patel	Damoh	Damoh Hata	Damoh Hata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Shri Anil Kumar Chhapariya Shri Mukesh Kumar Batham	Datia	Datia Seodha	Datia Seodha
16	Shri Raj Kumar Verma Shri Sudhir Singh Chouhan	Dewas	Dewas Kannod	Dewas Kannod
23	Shri Rambaresh Yadav	Gwalior	Gwalior	Gwalior
26	Smt. Deepali Sharma Shri Jaideep Singh	Hoshangabad	Hoshangabad Sohagpur	Hoshangabad Sohagpur
27	Shri Sanjeev Kumar Gupta	Indore	Indore	Indore
52	Shri Rajesh Kumar Rawatkar	Seoni	1. Seoni 2. Lakhnadon	1. Seoni 2. Lakhnadon
59	Shri Galib Rasool Shri Dayaram Ahirwar	Sidhi	Sidhi Manjholi	Sidhi Manjholi
66	Shri Gangacharan Sharma	Vidisha	Vidisha	Vidisha
69	Shri K.P. Markam	East Nimar Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon.".

(i) after serial number 69, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"70	Shri Arun Kumar Kharadi	Panna	Pawai	Pawai.".

Note.—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, रामपुर जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 जून 2010

क्र. 07-01-3104-1326.—यह कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, द्वारा विद्युत की निरंतर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के प्रयास में शहडोल जिले में ग्राम-टिकुराटोला के निकट कोयले

पर आधारित एक 2×800 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है. इस परियोजना से मध्यप्रदेश राज्य को विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लाभ प्राप्त होंगे. यह कि, इस परियोजना को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, ताकि इसमें अभिरूचि रखने वाले अनुज्ञप्ति धारी अथवा अन्य व्यक्तियों को सूचना मिल सके एवं उन्हें यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत कर सकें. अतः मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इस परियोजना को निम्नानुसार प्रकाशित करता है :—

1.	नाम	:	इस परियोजना को बाणसागर ताप विद्युत परियोजना ग्राम-टिकुराटोला के निकट जिला-शहडोल (म.प्र.) के नाम से जाना जायेगा.
2.	कार्य क्षेत्र	:	इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :—ग्राम टिकुराटोला, जिला शहडोल के समीप एक विद्युत गृह, राखड़ बांध एवं रहवासी कालोनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. विद्युत गृह की कुल स्थापित क्षमता 2×800 मेगावाट होगी. इस परियोजना के अंतर्गत दो बायलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर एवं उपसंयंत्रों की स्थापना की जावेगी जिसमें सिविल यांत्रिक तथा विद्युतीय कार्यों के साथ-साथ अन्य संबंधित कार्य जैसे राखड़ बांध, परिवहन सुविधायें, आवास कालोनी का निर्माण आदि भी प्रस्तावित है. विद्युत उत्पादन हेतु जल आपूर्ति, सोन नदी/बाणसागर बांध के ऊपरी क्षेत्र से लगभग 11 कि.मी. लंबी पाईप लाइन द्वारा की जायेगी. परियोजना हेतु कोयले का परिवहन एस.ई.सी.एल. के अधीन कोयला खदानों से प्रस्तावित है. विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित राखड़ को विद्युत संयंत्र के समीप निर्मित राखड़ बांध में निस्तारित किया जायेगा. विद्युत गृह एवं राखड़ बांध तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिये जिन ग्रामों की भूमि का पूर्ण या आंशिक भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है उनके नाम टिकुराटोला, ओडारीबारा, पथरेही, सरसी, जमुनी, हिरवार, सकंडी, रेंडसा, धिनौची, तेंदुहा, बराबहेरा, उजराबरा, बिलकुड़ा, विजयसोता, पपोंध, तुवरा, खंड़ेह एवं पवेह है तथापि विस्तृत भू-सर्वेक्षण पश्चात् ही अधिग्रहण क्षेत्र को चिन्हित किया जा सकेगा.
3.	अनुमानित लागत	:	प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत वर्तमान में रु. 10100 करोड़ आंकी गई है, जिसका पुनरीक्षण, डी.पी.आर. बनने की अवस्था में संभव है.
4.	निर्माण कार्य	:	यह परियोजना सन् 2016 में क्रियाशील होना प्रस्तावित है.
5.	परियोजना के लाभ	:	इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की स्थापित विद्युत् क्षमता में बढ़ोत्तरी करना तथा राज्य को उत्पादित विद्युत का लाभ प्रदान करना है. इस परियोजना के पूर्ण होने पर इससे लगभग 11914 मिलियन यूनिट (85 प्रतिशत पी.यू.एफ. पर) का वार्षिक उत्पादन होने लगेगा.
6.	पारेषण एवं वितरण	:	परियोजना से उत्पादित विद्युत के पारेषण संबंधी कार्य म.प्र. विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड तथा वितरण संबंधी कार्य संबंधित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपादित किया जाना प्रस्तावित है.
7.	तार खंभे आदि लगाने का अधिकार.	:	विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिये तथा टेलीफोन एवं टेलीग्राम सिग्नलों के पारेषण हेतु तार, खंभे, दीवाल, ब्रेकेट, स्टे, संयंत्रों और उपकरणों के लगाने हेतु विद्युत अधिनियम, 1948 की धारा 42 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगा जो भारतीय तारयंत्र के संबंध में प्राप्त है.
8.	परियोजना के निर्माण का अधिकार.	:	परियोजना से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्य का संपूर्ण अधिकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को होगा.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इसमें अभिरुचि रखने वाले किसी भी अनुज्ञप्ति धारी या अन्य किसी भी व्यक्ति को इस परियोजना के निर्माण के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्ति पत्र इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है. इस समयावधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

व्ही. के. नायडू, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 जून 2010

क्र. एफ-1-2-2010-रा.स.-यू.ए.-1-1058.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, एतद्द्वारा प्रो. पी.के. मिश्रा, निदेशक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 171-07-LAभू-अर्जन-10-11006 खण्डवा, दिनांक 28 जून 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

रा.प्र.क्र. 1-अ-82-09-10.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला-खण्डवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक . . . . . को सम्पादित किया जा रहा है—

कंपनी ने म. प्र. शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम मोरटक्का, प.ह.नं. 1, तहसील पुनासा जिला खण्डवा की आबांदी भूमि सर्वे नं. 695 क्षेत्रफल 0.010 भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि खसरा नं. 1 क्षेत्रफल 0.343 हे. पर स्थित संरचनाओं तथा निजी कृषि भूमि खसरा नं. 698 क्षेत्रफल 0.480 हे. पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1, 2, 3 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट (1)
आबादी भूमि में स्थित परिसम्पत्तियां

अ.क्र.	स्वत्व धारक या भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम पूरा पता	सर्वे नम्बर	मोहल्ला शीट क्र.	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शिव मंदिर	695 आबादी भूमि	1	1	100 वर्गमीटर	—

परिशिष्ट (2)
निजी कृषि भूमि में स्थित परिसम्पत्तियां

अ.क्र.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	जाति	खसरा नंबर	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सनावद नगरपालिका	—	698 निजी कृषि भूमि	जलप्रदाय पाईप लाईन एवं फाउन्डेशन 250 वर्गमीटर.

परिशिष्ट (3)
शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

अ. क्र.	ख. नं.	मद	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	नर्मदा नदी शासकीय भूमि	1. घाट 1 पक्का 2747 वर्गमीटर 2. गुमटी एवं ओटला पक्का 34 वर्गमीटर 3. नर्मदा कुटीर पक्की 22 वर्गमीटर 4. निजी घाट पक्का 584 वर्गमीटर योग . . कुल 4 निर्माण वर्गमीटर 3387

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टी कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 1-9-2007 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-14/07/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 4 अक्टूबर 2007 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निम्नानुसार किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1,में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2, 3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेगा, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—

(1) अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(2) भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(3) भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

(4) कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति में दिये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी.

(5) कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44 ए).

(6) यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(7) भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी. तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

(8) शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

(9) पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

(10) प्रदूषण नहीं किया जावेगा. इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस आशय के प्राप्त करना होंगे कि, ''पर्यावरण, जल स्त्रोत वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा''.

(11) भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

(12) यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

(13) भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

(14) भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

(15) शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(16) मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें.

(17) प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे:—

(क) राज्य शासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लाट पर मकान बनाने के लिये करेगा. यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है तो वह आवंटित स्थल मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा.

(ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा यदि वह उस पर अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा. जिसमें लगने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा.

(ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1, 2, 3 में वर्णित भूमि एवं संरचनाओं के अर्जन के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा. यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है तो राज्य शासन भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिगृहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिग्रहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा.

भू-अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क्र. 1 राज्य शासन, पक्ष क्र. 2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद् आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी. अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा.

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **टी. आर. वर्मा**
डिप्टी कलेक्टर, खण्डवा
पता : . . . . . .

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : 15, खड़ी मोहल्ला
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(डी. डी. अग्रवाल)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खण्डवा (म. प्र.)

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.
मण्डलेश्वर.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 22-वि.निर्वा.-2010-114.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-म.प्र.-वि.स. (32/2009)-2010, दिनांक 2 मार्च 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

प्रेमचन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निवार्चन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 2 मार्च 2010—11 फाल्गुन, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स. (32/2009)-2010.—भारत निर्वाचन आयोग, 58-पवैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाले श्री मुकेश नायक द्वारा दाखिल 2009 की अर्जी सं. 32 में मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के तारीख 24 अप्रैल 2009 का निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sandan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 2nd March 2010—11 Phalguna, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA/(32/2009)-2010.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby publishes the Judgment of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur dated 24th December 2009 in Election Petition No. 32 of 2009 filed by Sh. Mukesh Nayak challenging the election of Sh. Brijendera Pratap Singh to the Legislative Assembly from 58-Pawai Assembly Constituency.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Election Petition No. 32 of 2009

Mukesh Nayak
Son of Shri Biharilal Nayak, aged about 49 years, resident of House No. 577 Civil-6, Chatrasal Ward No. 6, Gram Damoh, Tahsil Damoh, District Damoh, M. P.

VERSUS

Brijendra Pratap Singh
Son of Uday Pratap Singh, aged about 45 years, resident of Gram Itori Amanganj, Tahsil Gunor, District Panna, M. P.

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 AND 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951

FACTS :

(1) That on 31-10-2008, the Election Commission of India issued notification for election to the 13th Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh. As per said notification, the election was scheduled to be held as under :

(i)	Last date of making nomination:	7-11-2008
(ii)	Date of scrutiny of nomination:	8-11-2008
(iii)	Late date for withdrawal of candidature:	10-11-2008
(iv)	Date of polling :	27-11-2008
(v)	Date of counting :	08-12-2008

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

Election Petition No. 32/2009

Mukesh Nayak Son of Biharilal Nayak, aged about 49 years, resident of House No. 577 Civil-6, Chatrasal Ward No. 6, Gram Damoh, District Damoh, M. P.

. . . . Petitioner

Versus

Brijendra Pratap Singh, Son of Uday Pratap Singh, aged about 45 years, resident of Gram Itori Amanganj, Tahsil Gunor, District Panna

. . . . . **Respondent**

Shri Shashank Shekhar, Advocate for the petitioner.
Shri Mrigendra Singh, Advocate for the respondent.

Date of Hearing : 8/10/2009
Date of Order : 24/12/2009

ORDER

This order shall govern disposal of I. A. No. 43/2009, which is an application, under Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure (for brevity "the Code") read with Section 86 of the Representation of People Act, 1951 (for short "the Act"), seeking rejection of this election petition at the threshold on the following grounds—

(i) The petition is lacking in material facts and particulars.

(ii) The petition does not disclose any cause of action.

(iii) The petition is not supported by any affidavit in Form 25.

(iv) The annexures filed along with the petition are not attested or verified as true copies by the Petitioner.

(v) Material contradictions exist between the contents of verification clause and those of the affidavit filed in support of the pleadings.

2. In this petition, election of returned candidate *viz.* the respondent to M. P. Legislative Assembly constituency No. 58 Pawai (hereinafter referred to as the 'Constituency') has been called in question on the ground of irregularities in the counting of votes with a prayer for a direction for recounting of the votes polled as well as the postal ballot papers received in the Constituency. The petitioner has also sought a declaration that irregularities committed by the Returning Officer in counting the votes have vitiated the entire process of election and has further entreated to punish the persons found involved therin.

3. Election to the Constituency was held on 27-11-2008 in which as many as 18 candidates were in the fray. The petitioner and the respondent contested the election respectively as the official candidates of Bhartiya Janshakti Party and Bhartiya Janta Party. Counting of votes through Electronic Voting Machines (EVMs) was scheduled to take place on 8-12-2008. The petitioner had appointed Devendra Kumar Tiwari, Rajaram Singraul, Rajkumar, Ramsewak, Chhotelal Pathak and Shri C. L. Singraul as counting agents whereas one Kedar Prasad, acted as agent of another candidate namely Kamlesh Dwivedi for the purpose. As per the result notified after conclusion of the counting, the respondent was declared duly elected, as he had secured 39921 votes whereas his nearest rival viz. the petitioner could get 39011 votes.

4. **According to the petitioner,—**

(i) till 16th round of counting, that was concluded at about 16:00 hours, he was leading as against the respondent by a margin of 3779 votes. However, the administrative officers involved in the process of counting were able to gather from the outcomes of the process of counting in other Constituencies that the ruling Bhartiya Janta Party, represented by the respondent, was again going to form Government in the State. As an obvious reaction, they suddenly left the counting room and even on being asked the reason for doing so, did not give any logical reply. Their explanation that they were leaving for lunch was also not satisfactory as breaks for the purpose had already been availed of at 13:00 and 14:30 hours.

(ii) At about 16:50 hours, brother of the respondent namely Lokendra Singh and his companion Mahendra Yadav started hurling abuses and throwing chairs on the partition providing separate spaces to the agents and the officers of Election Commission in the counting room. Finding that the situation was a complete chaos, the officers appointed by the Election Commission not only shifted 8 EVMs which were yet to be used for counting of votes but also dragged his counting agents out of the room. Thus, counting in the 17th, 18th and 19th rounds could not be done in presence of his counting agents.

(iii) Further, the moment the counting agents came out of the room, the entry passes issued in their favour were torn into pieces by the police authorities present there. Although, they preferred an oral complaint to the Superintendent of Police, Panna and also submitted an affidavit to the effect that on 8-12-08 after 4.30 p.m. they were expelled

from the counting room by the police officials yet, no action was taken presumably in view of the fact that by that time 80% of the election results in the State were formally announced.

(iv) Immediately thereafter, to his utter dismay and surprise, the respondent was declared elected by exhibiting that in the 17th, 18th and 19th rounds, he had received 237, 634 and 355 votes whereas the respondent had secured 1242, 2702 and 1971 votes. This apart, his counting agents were compelled to append signatures on the tabulation sheets showing result of those rounds based on the readings of 8 EVMs despite the fact that procedure prescribed under the Election Law for counting of votes in their presence was not followed. One of the counting agents namely Sitaram Patel made an application for recounting of votes recorded by 8 EVMs in 17th, 18th and 19th rounds on the ground that votes were not counted before him. Another counting agent viz. K.K. Pandey also made a complaint to the effect that the EVM in respect of polling booth No.128 of Bada Gaon Sarsela was not at all included in the process of counting. However, the Returning Officer refused to acknowledge receipt of these complaints.

(v) Thus, the figures reflected in the tabulation chart, prepared as per Proforma 20 prescribed under Rule 56C(2)(c), were erroneous, incorrect and bogus. In such a situation, he himself faxed applications to the Returning Officer at 18:46 and 19: 10 hours for recounting of 17th, 18th and 19th rounds but no action was taken.

5. In the light of these averments, the petitioner has claimed that in case a recounting is done he would emerge as victorious by a considerable margin of votes.

6. As pointed out already, the prayer for rejection of the Election Petition has been made not only on the ground of non-compliance with the statutory procedural requirements but also for the reason that the petition does not disclose any cause of action.

7. In reply, the petitioner has submitted that even if it is assumed that the pleadings or the contents of affidavit suffer from any deficiency, the election petition can not be dismissed in limine. To buttress the contention, reference has been made to leading decision of the Apex Court in **Murarka Radhey Shyam Ram Kumar v. Roop Singh Rathore AIR 1964 SC 1545.**

8. At the outset, it may be observed that the objection as contained in ground no.(iii) [above] regarding non-submission of affidavit in Form No.25 prescribed by Rule 94A of the Conduct of Elections Rules, 1961 and the reply that the corresponding particulars may be amended and amplified are apparently misconceived in view of the fact that election in question has not been challenged on the ground of any corrupt practice enumerated in Section 123 of the Act. Further, the ground nos.(iv) and (v) [supra] can be dealt with under the doctrine of curability. As such, the petition can not be rejected on any one of the abovementioned three grounds.

9. The question that arises for consideration is as to whether the petition deserves rejection on the ground nos.(i) and (ii) [ibid] relating to the objection as to non-pleading of material facts and materials and non-disclosure of cause of action respectively.

10. The expression 'material facts' has neither been defined in the Act nor in the Code. According to the dictionary meaning, 'material' means 'fundamental', 'vital', 'basic', 'cardinal', 'central', 'crucial', 'decisive', 'essential', 'pivotal', indispensable', 'elementary' or 'primary' **(Harkirat Singh v. Amarinder Singh AIR 2006 sc 713 referred to).** Hence, material facts are facts which if established would give the petitioner the relief asked for even if the respondent had not appeared. Further, for deciding the application under Order VII Rule 11 of the Code, the averments in the petition are germane and the pleas taken by the respondent would be wholly irrelevant at that stage. This apart, rejection of plaint in exercise of the power under Order VII Rule 11 would be necessitated only if on a meaningful, not formal reading of the petition it is manifestly vexations and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to challenge the election **(See. T. Arivandandam v. T.V. Satyapal (1977) 4 scc 467).**

11. Examining the pleadings of the petitioner in the light of these guiding principles, one may easily conclude that the petitioner has only suspected a foul play in the process of counting resulting into his defeat inspite of the fact that he was leading upto last but 3 rounds.

12. Law on the subject has been elaborately explained by the Apex Court in **T.A. Ahammed Kabeer v. A.A. Azez (2003) 5 scc 650** in the following terms—

(1) In an election petition wherein the limited relief sought for is the declaration that the election of the returned candidate is void on the ground under Section 100(1) (d)(iii) of the Act, the scope of enquiry shall remain confined to two questions: (a) finding out any votes having been improperly cast in favour of the returned candidate, and (b) any votes having been improperly refused or rejected in regard to any other candidate. In such

a case an enquiry cannot be held into and the election petition decided on the finding (a) that any votes have been improperly cast in favour of a candidate other than the returned candidate, or (b) any 667votes were improperly refused or rejected in regard to the returned candidate.

(2) A recrimination by the returned candidate or any other party can be filed under Section 97(1) in a case where in an election petition an additional declaration is claimed that any candidate other than the returned candidate has been duly elected.

(3) For the purpose of enabling an enquiry that any votes have been improperly cast in. favour of any candidate other than the returned candidate or any votes have been improperly refused or rejected in regard to the returned candidate the Election Court shall acquire jurisdiction to do so only on two conditions being satisfied: (i) the election petition seeks a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected over and above the declaration that the election of the returned candidate is void; and (ii) a recrimination petition under Section 97(1) is filed.

(4) A recrimination petition must satisfy the same requirements as that of an election petition in the matter of pleadings, signing and verification as an election petition is required to fulfil within the meaning of Section 83 of the Act and must be accompanied by the security or the further security referred to in Sections 117 and 118 of the Act.

(5) The bar on enquiry enacted by Section 97 read with Section 100(l)(d)(iii) of the Act is attracted when the validity of the votes is to be gone into and adjudged or in other words the question of improper reception, refusal or rejection of any vote or reception of any vote which is void is to be gone into. The bar is not attracted to a case where it is merely a question of correct counting of the votes without entering into adjudication as to propriety, impropriety or validity of acceptance, rejection or reception of any vote. In other words, where on a re-count the Election Judge finds the result of re-count to be different from the one arrived at by the Returning Officer or when the Election Judge finds that there was an error of counting the bar is not attracted because the court in a pure and simple counting carried out by it or under its directions is not adjudicating upon any issue as to improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void but is performing mechanical process of counting or re-counting by placing the vote at the place where it ought to have been placed. **A case of error in counting would fall within the purview of sub-clause (iv), and not sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (1) of Section 100 of the Act".**

[Emphasis supplied]

13. Accordingly, when a petition is for relief of scrutiny and recount on the allegation of miscount, the petitioner has to offer proof of errors in counting and if errors in counting are prima facie established a recount can be ordered. However, fact of the matter is that in the case on hand, scope of inquiry is limited to the correctness and authenticity of counting that was carried out by means of EVMs whereas all doubts and queries regarding the functioning of EVMs have already been answered in FAQs of electronic voting machines published by the Commission on the website. The relevant questions and answers may be reproduced as under:

"Q18. Is it possible to vote more than once by pressing the button again and again?

Ans. No

Q21. Is it possible to program the EVMs in such a way that initially, say upto 100 votes, votes will be recorded exactly in the same way as the 'blue buttons' are pressed, but thereafter, votes will be recorded only in favor of one particular candidate irrespective of whether the 'blue button' against that candidate or any other candidate is pressed?

Ans. The microchip used in EVMs is sealed at the time of import. It cannot be opened and any rewriting of program can be done by anyone without damaging the chip. There is, therefore, absolutely no chance of programming the EVMs in a particular way to select any particular candidate or political party.

Q28. In the conventional system, before the commencement of poll, the Presiding Officer shows to the polling agents present that the ballot box to be used in the polling station is empty. Is there any such provision to satisfy the polling agents that there are no hidden votes already recorded in the EVMs?

Ans. Yes

Before the commencement of poll, the Presiding Officer demonstrates to the polling agents present that there are no hidden votes already recorded in the machine by pressing the result button. Thereafter, he will conduct a mock poll by asking the polling agents to record their votes and will take the result to satisfy them that the result shown is strictly according to the choice recorded by them. Thereafter, the Presiding Officer will press the clear button to clear the result of the mock poll before commencing the actual poll.

Q29. How can one rule out the possibility of recording further votes at any time after close of the poll and before the commencement of counting by interested parties?

Ans. **As soon as the last voter has voted. the Polling Officer in-charge of the Control Unit will press the 'Close' Button. Thereafter, the EVM will not accept any vote. Further, after the close of poll. the Balloting Unit is disconnected from the Control Unit and kept separately. Votes can be recorded only through the Balloting Unit. Again the Presiding officer. at the close of the poll, will hand over to each polling agent present an account of votes recorded. At the time of counting of votes, the total will be tallied with this account and if there is any discrepancy, this will be pointed out by the Counting Agents.**

[Underlined by me]

14. From the corresponding 'Press Note', copy of which has also been placed by the respondent on record, one may gather the following information about EVMs used by Election Commission of India—

Facts about EVMs used by ECI

(i) ECI-EVMs are manufactured only by Electronics Corporation of India Limited (Department of Atomic Energy) and Bharat Electronics Limited (Ministry of Defence), both Central Public Sector Undertakings, which are entrusted with development of very high security product/ equipment development.

(ii) The ECI-EVMs cannot be reprogrammed.

(iii) The software for this chip is developed in-house by a select group of engineers in the two PSUs independently from each other. A select software development group of 2-3 engineers designs the source code and this work is not sub-contracted.

(iv) The source code is so designed that it allows a voter to cast the vote only once. The next vote can be recorded only after the Presiding Officer enables the ballot on the Control Unit. In between the machine becomes dead to any signal from outside (except from the Control Unit).

(v) After completion of software design, testing and evaluation of the software is carried out by an independent testing group as per the software requirements specifications (SRS). This ensures that the software has really been written as per the requirements laid down for its intended use only.

(vi) After successful completion of such evaluation, machine code of the source programme code known as hex-code (not the source code itself) is given to the micro controller manufacturer for fusing in the micro controllers. From this machine code, the source code cannot be read. Source code is never handed over to anyone outside the software group.

(vii) Micro controller manufacturer initially provides engineering samples for evaluation. These samples are assembled into the EVM, evaluated and verified for functionality at great length. Bulk production clearance is given to micro controller manufacturer only after successful completion of this verification.

(viii) The source code for the EVM is stored under controlled conditions at all times. Checks and balances are in place to ensure that it is accessible to authorized personnel only.

(ix) During production, functional testing is done by production group as per the laid down quality plan and performance test procedures.

(x) Samples of EVMs from production batches are regularly checked for functionality by Quality Assurance Group, which is an independent group within the organizations.

(xi) Certain additional features were introduced in 2006 in ECI-EVMs such, as dynamic coding between Ballot Unit and Control Unit, installation of real time clock, installation of full display system and date and time stamping of every key

pressing in EVM. It is important to note that there was no modification of any type done at this stage in the basic functions of the machine.

Not comparable with EVMs Abroad

The Commission has come across some comparisons between ECI-E VM and EVMs used by foreign countries. Such comparisons are both misplaced and misguided. Most of the systems used in other Countries are PC based and running on **operating Systems.** Hence, these could be vulnerable to hacking. The EVM in India on the other hand is a fully standalone machine without being part of any network and with no provision for any input. As already stated, the software in the EVM chip is one time programmable and is burnt into the chip at the time of manufacture. Nothing can be written on the chip after manufacture. Thus the ECI-EVMs are fundamentally different from the voting machines and processes adopted in various foreign countries. Any surmise based on foreign studies or operating system based EVMs used elsewhere would be completely erroneous. The ECI-EVMs cannot be compared with those EVMs.

Complete Procedural **Security**

The Commission has in place elaborate administrative measures and procedural checks-and-balances aimed at prevention of any possible misuse or procedural lapses. These measures include rigorous pre-election test and inspection of each EVM by the technicians, two level randomization with the involvement of candidates and their agents, for the random allotment of the EVMs to various constituencies and their subsequent dispatch to various polling stations. Preparation of the EVMs for elections is done in the presence of the candidates/their agents and sealing of the prepared EVMs is also done in candidate's or their agent's presence. Thread seal are fixed on the EVM where again, the candidates or their representatives put their own signature and seals. Paper seals guards against any unauthorized access to the EVMs after preparation. EVMs are then kept in sealed strong rooms with provision for the candidates to put their individual seals on the strong rooms. The EVMs are randomized twice over. The list of EVMs going to individual polling stations is given to the candidates for them to check, on the poll day the actual machine, that is used in that polling station. Furthermore a mock poll is conducted in the presence of polling agents, when the polling agents can verify, inter-alia, the EVM numbers. A mock poll certificate is taken before the commencement of poll. After the mock poll the machine is set back to zero and green paper seal printed at Govt. Security Press is put in, where once again every polling agent is allowed to put his/her signature. After the polls, the EVM are also sealed in such a manner that there is no physical access to any of the buttons on the EVMs. Indeed there is no access to the EVMs itself since the carrying case is' sealed completely. The machines are put in the strong room again in presence of the candidates, observer of the commission under video camera surveillance. The strong room is allowed to be guarded by the supporters of the candidates besides the police protection provided to strong rooms. At every step, "the EVM is very well protected and elaborate arrangements are in place for the same.

15. **In Michael B. Fernandes v. C. K. Jaffer Sharief AIR 2004 KARNATAKA289,** 'the Karnataka High Court had the occasion to analyze these .claims - regarding functional efficacy of EVM by examining one of the scientists of the Bharat Electronic Limited (in short B. E. L.) as the Court witness who was also cross-examined at length. The findings recorded by the learned Election Judge may usefully be quoted as under,—

Voting machine has two major. units: one is control unit and other is balloting unit. Control unit is handled by the Presiding Officer, who is in-charge of the Polling Booth. The control unit has all the intelligence inbuilt. The ballot unit is a dummy unit or otherwise called non-intelligence unit. The ballot unit has buttons and a lamp for each candidate arranged in a line. The ballot unit is kept in the polling compartment, 5 meters away from the control unit. The ballot Unit has a cable permanently attached. At the time of polling the cable is connected to the control unit when the voter press the button casting the vote to a candidate, the lamp by the side of the button will glow to indicate that the voting done is proper and simultaneously in the control unit a beep sound is heard to a range of 30 ft. The control unit functions in a non-reversible cycle of voting process.-

After the publication of the list of the candidates, the Returning Officer sets the number of contesting candidates in the control unit, which functions on a battery specially manufactured and supplied

by B.E.L. The effective life of the battery is 48 hours of continuous functioning. In the balloting unit the printed ballot sheet is put behind the transparent screen. The balloting unit is capable of handling the ballot sheet containing 16 contestants and on the whole EVM is designed to handle a maximum of 64 contestants at an election. The balloting unit has got 16 buttons operatable through a panel cut out. After inserting the balloting paper in the ballot unit, the Returning Officer closes the lid and put a seal provided by the election commission in presence of the candidates /their agents. The lid and the flaps once closed and sealed cannot be opened without tampering the seal. The Returning Officer simultaneously will set the control unit to receive the information about the number of candidates contesting in the election. By pressing the last "Can set" button in the control unit, the number of contesting candidates is recorded. The candidate set compartment of the control unit is closed and sealed in the presence of the candidates/their agents. Thereafter the-control unit and the balloting unit are put separately in a carrying cases and are sealed by the Returning Officer in presence of the candidates/agents. The carrying cases containing control unit and balloting Unit are delivered to the Presiding Officers on the previous day to the election and would be carried to the polling booth.

The Polling Officer will verify the seals of the carrying cases, take out the control unit and balloting unit, verify the correctness of the seals. An hour before the polling time, mock poll is conducted to verify the functional capacity. The agents/candidates are asked to press the button in the balloting unit to cast their votes. Later on the "result button" in the micro controller is pressed which display the number of votes polled. After demonstration of the correctness of the function, the 'clear button' is pressed which will erase all the data of the mock poll. After the mock poll, the Presiding Officer will close the result compartment by putting the seal provided by the election commission by which the voting machine is ready for polling.

The voter presents before the Presiding Officer. after verifying the identity, the Presiding Officer will press the 'balloting button' in the control unit and send the voter to the polling cabin. When the voter press the 'balloting button' casting vote to the candidate of his choice, the. lamp by the side of the button will glow indicating the correctness of voting. The control unit will give a beep sound to indicate that the vote casted is registered in the control unit. For the next vote to be cast, again it is necessary that the 'balloting button' in the control unit is to be pressed by the Presiding Officer, otherwise, mere pressing of button in the balloting unit by the voter will be of no consequence. For every next vote to be cast, it is necessary that the 'balloting button' in the control unit is to be pressed by the Presiding Officer. After polling time is over 'close button' in the control unit is pressed by the Presiding Officer by which the machine gets locked. Thereafter, the balloting unit is disconnected from the control unit, they. are separately packed in the carrying cases and sealed in presence of the agents by the Presiding Officer. Later on they are transported to the counting centers and ballot unit and control unit are kept in a strong room before they are taken to the counting centers. At the time of counting, seals put by the Presiding Officer to the control unit is verified to ensure that no tampering has taken place. When the 'result button' is pressed, machine will display the number of votes polled against each candidates sequentially.

Control unit has two main devices: one is micro controller and another is memory. Micro controller is one time programmable component. Micro controller once fused with program code and data is unchangeable and irreversible. The memory device is functionally efficient and retain the voting data without the aid of a battery. The micro controller will record and register the voting data by cross checking with the memory for every vote. The programme code is encrypted and stored in the memory. It is not possible to replace the memory device in order to play mischief If the Memory device is removed, micro controller will detect and declare that the machine is in error state. The memory device and one time programmable micro controller are the pivotal devices of the E VM and they act as tamper proof device for the programme code and poll data.

If a voter damages the button of the balloting unit or for accidental reason the button of the balloting unit gets struckn, such errors are indicated in the control unit. In such cases, a spare balloting unit is used. The sound of error message is heard in the control unit like a alert sound, simultaneously the display panel will show letters "PE" indicating that balloting unit has gone out of order. If the connecting cable is damaged or cut, letter 'LE' is displayed in the display panel of the control unit

with an alert sound and these are the possible errors that can happen during use of machine during polling. If there is any error in the. memory device, the machine is declared dead. The weak battery can also lead to error and the panel display will indicate by six dash marks. The Presiding Officer will change the battery and continue polling. The defect in the battery is a rare phenomenon. If the machine is not functioning, there will be no battery consumption.

The Micro controller manufactured with a given programme code is only useful for EVMS made for the elections by the B. E. L. company and cannot be used for any other purpose. The programme code is encrypted by out-source agency in the presence of the responsible official of the BEL and the programme code is a business secret. Out- source agency would keep the encrypted data as utmost secrecy. It is further stated that the encrypted code and data is unchangeable and indelible by anybody, even by the manufacturer. Any attempt to tamper with the encrypted code would only result in damage to the machine. But the micro controller and memory cannot be manipulated by anybody. It is also stated thqt the EVM is tested to the temperature cpndition of 20 degree C to + 55 degree C. and electromagnetic radiatio also would not affect the functioning of the machine. The witness categorically states that either by manipulation or by accident there is no possibility of transfer of votes from one candidate to another and the machine designed is fully tamper proof.

16. Since the petitioner has raised doubt as to fairness or impartiality of the officials engaged in the counting process, he is under an obligation to demonstrate as to how the EVMs couid be tampered with to get he desired result. However, no expert opinion has been placed on record regarding the chances of misalignment of EvMs. On the other hand, correctness of all the technical aspects of the matter, as reflected as FAQs and the Press Note issued and uploaded on its website by Election Commission of India, has already been veri fied on the judicial side in **Michael B. Fernandes's** case (supra). Accordingly, the EVM is a foolproof device for counting of votes. In this view of the matter, any further probe into the allegations made by the petitioner regarding possibility of malfunctioning and tampering of the EVMs used in the counting of votes in 17th, 18th and 19th rounds or non-inclusion of the EVM pertaining to polllng booth No.128 of Bada Gaon Sarsela would be a futile exercise. The averments regarding error in counting of postal ballot papers also do not assume any significance in view of the tact that it precedes the counting l\f votes of through EVMs.

17. For these reasons, I am of the view that the petition does not disclose any material fact necessitating a full-dressed trial.

18. In a democracy the mandate has sacrosanctity. It is to be respected and not lightly interfered with. When it is contended that the purity of electoral process has been polluted, weighty reasons must be shown and establ?shed. The onus on the election petitioner is heavy as he has to substantiate his case by making out a clear case for interference both in the pleadings and in the trial. Any casual, negligent or cavalier approach in such serious and sensitive matter involving great public importance cannot be countenanced or glossed over too liberally as for fun (Regu Mahesh Rao v. Rajendra Pratap Bhanj Dev AIR 2004 SC 38 referred to).

19. To sum up, even if the averments made in the election petition are taken at their face value and are accepted in their entirety, no triable issue between the parties would arise in absence of complete. precise and specific pleadings in respect of the alleged irregularities in counting of votes through EVMs. As an obvious consequence, the petition deserves to be rejected on the ground nos.(i) and (ii) [above].

20. In the result, the petition stands rejected, under Order VII Rule 11 (a) of the Code, for want of any cause of action. The parties shall bear their own costs.

21. A copy of this order be forwarded to the Election Commission as well as to the Speaker of the State Legislative Assembly.

Petition rejected.

Sd/-
(R. C. MISHRA)
Judge,
24-12-2009.

By order,
Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010

क्र. 22-वि.निर्वा.-2010-126.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-म.प्र.-लो.स. (44-2009)-2010, दिनांक 7 अप्रैल 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

प्रेमचन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 7 अप्रैल 2010—17 चैत्र, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-लो.स.(44-2009)-2010.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 (ख) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, 2009 की निर्वाचन याचिका सं. 44 में भारत के उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी 2010 को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 7th April, 2010.—17 Chaitra, 1932(Saka)

NOTIFICATION

No. 82-MP-HP-(44-2009)-2010.—In pursurance of Section 106 (b) of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the judgment of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur dated 28th January 2010 in Election Petition No. 44 of 2009.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR
Electuion Petition No. 44-of 2009

Petitioner. : Sukh Lal Kushwaha, S/o Shiv Sevak Kushwaha, aged abut 47 years, R/o Village-Bajvahi, Post- Gora, Tehsil, Amarpatan, Distt. Satna (M. P.).

Vs.

Respondent : Ganesh Singh S/o Kamal Bhan Singh R/o Friends colony, Birla Road, Ward No. 12, Satna, Post-Birla Vikas Satna, Tehsil Distt. Satna (M.P.).

Counsel for the petitioner : Shri Dinesh Upadhyaya, Advocate

Counsel for the respondent : Shri Pankaj Dubey, Advocate.

ORDER
(28th January 2010)

Per Krishn Kumar Lahoti, J.

Order on I.A.76-09 under Order 7 Rule 11 and under Order 6 Rule 16 of the Civil Procedure Code, 1908.

1. The respondent has field this application for dismissal of the election petition on following grounds :—

(a) That the election petition is liable to be dismissed for non-compliance of the provisions of Section 81(1)(a)(b) &(c) of the Representation of peoples Act, 1951 (hereinafter referred as 'the Act').

(b) That the petitioner has not made specific allegations in the manner prescribed under the Act. Each allegation of corrupt practice should have been mentioned with material facts and particulars thereof in accordance with the provisions of Sec. 81(1)(a) and (b) of the Act.

(c) That the petitioner has not disclosed that on what date and the time the respondent committed corrupt practice. What are the acts alleged against the respondent amount to corrupt practice. Particulars have not been furnished by the pititioner.

(d) That apart from an affidavit filled alongwith the election petition, a specific affidavit in support of the allegations of the corrupt practice ought to have been filled in Form No. 25 of the conduct of Election Rules, 1961 (hereinafter reffered to as the Rule). In absence of such an afficavit, the election petition is liable to be dismissed in so far as it relates to allegations of corrupt practice. The affidavit field alongwith the election petition does not comply with the provisions as contained in Rule 94A of the Rules.

(e) That in absence of the sufficient material in the pleadings, the election petition does

not disclose a cause of action for filling of the petition for its trial and on this ground alone the election petition is liable to be dismissed. The petitioner has not furnished the name of parties alleged to have been committed corrupt practice, the date and place of commission of such corrupt practice.

(f) That the petitioner has not disclosed, by which unfair means and corrupt practice the respondent contested the election. Though the petitioner has alleged that the officers and presiding officers were belonging to Kurmi caste, helped the respondent for using unfair means but neither the name of such returning officers or presiding officers nor particulars of unfair means have been alleged.

(g) That allegations in respect of bogus voting are without any particulars.

(h) That in respect of Electronic Voting Machine [for short 'EVMs'], the allegations are made of tempering but no particulars are furnished. In absence of which, no cause of action arose to the petitioner for filling this election petition. That the allegations in the petition that there was difference in the votes at the time of tallying but no particulars in this regard has been furnished, even the names of counting Agents and poling officers alleged to be threatened are not mentioned.

(i) That no document has been filed or supplied to the respondent, though the petitioner has relied upon the documents in the election petition, in absence of which, no reply to the election petition can be field.

(j) That the petitioner has not signed and verified each page of the petition in the manner prescribed. The petitioner has also not signed the affidavit which has been filed in support of the election petition. The copy supplied to the respondent does not disclose that the petitioner was identified by any person. The copy supplied to the petitioner is not the correct copy of the affidavit filed alongwith the election petition.

On the aforesaid grounds it is stated by the respondent that the present election petition which has been filed without particulars and material facts may be dismissed or paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10 of the election petition be directed to be deleted.

2. The petitioner herein inspite of seeking time initially on 4-9-200 for two weeks, thereafter on 9-10-2009 by way of last opportunity, and on 13-11-2009 on payment of cost of Rs. 1000/- has not filed reply of this application. Ultimately on 4-12-2009 right to file reply of I.A.76-09 was closed.

3. The parties are heard on application I.A. 76/09.

4. Learned counsel for the respondent reiterated the contentions raised in the application. It was stated by him that in absence of material facts and particulars in the election petition, the election petition is liable to be dismissed. He has placed reliance to a recent judgment of the Apex Court in **Anil Vasudev Salgaonkar vs. Naresh Kushali Shigaonkar** [2009(9) SCC 310]. He referred para 3 to 7 of the election petition to show that all the allegations are bald and vague, on the basis of which such election petition is liable to be dismissed. He has also relied on a judgment of Apex Court in **V. Narayanswamy Vs. C.P. Thirunavukkarasu** [2000(2) SCC 294]. He has also referred Rule 94-A of the Rules to show that an affidavit as required in Form No. 25 was not filed.

Lastly, it was submitted that each copy of the election petition is to be attested to be true copy under signatures of the petitioner but in this case the petitioner has not attested every page as true copy under his signatures which is the mandatory requirement under Section 81(b) of the Act and on this ground alone this election petition is liable to be dismissed. In support of this contention, the respondent placed reliance to a Single Bench judgment of Bombay High Court in **Narendra Bhikahi Darade vs. Kalyanrao Jaywantrao Patil** [AIR 2000 Bom 362].

5. Learned counsel for the petitioner opposed the aforesaid contention and submitted that the election petition has been filed on the grounds as enumerated under the Act. In so far as the proof of the grounds is concerned, in this regard evidence will be adduced. It is not necessary for the petitioner to plead evidence but the material facts have been pleaded in the election petition and on this ground the election petition cannot be dismissed.

6. To appreciate the aforesaid contentions, firstly the allegations in the election petition may be seen. The petitioner and respondent both contested the election of Member of Parliament from Constituency No. 9, Satna. The petitioner was a candidate of Bahujan Samaj Party while the respondent contested as a candidate of Bhartiya Janata Party. The polling was held on 23-4-2009 and the result was declared on 16-5-2009 in which the respondent was declared as an elected candidate with the margin of 4418 votets. the respondent achieved 1,90,624 valid votes. The petitioner herein made allegations in respect of corrupt practice in para 3 of the petition which reads as under :—

"3. That, the respondent got elected with unfair means and corrupt practice since he belong to ruling party of the State. He influenced the local administration including the returning officer who are responsible to conduct the election and duty bound to hold the elections in free and fair manner."

Other allegations which are pleaded in para 4 to 8 deserves to be reproduced to understand the allegations made by the petitioner against the respondent.

"4. that, the returning officer has selected and appointed the presiding officers in such a way that most of them belong to the Kurmi Caste i.e. the cast the respondent belongs, so that they can help and support the respondent in voting by adopting unfair methods. Many other presiding officers and other election officers were also supporter of ruling Bhartiya Janta Party. These presiding officers have made every effort to help the respondent by not only allowing the bogus voting in favour of the respondent but also turning away and denying voting rights to those voters who were suspected to be supporter of the petitioner. Specific instance of rigging of the election in Parasamania polling booth No. 101 where voters were not allowed to cast their votes and were tuned away. Their signatures have not been taken in the register and bogus votes have been cast in favour of the respondent and voters signature have been forget in register. Such illegal methods have been adopted in many other polling booths also. The petitioner polled 0-9 votes in as many as 55 polling boths as against only 8 polling booths where respondent polled 0-9 votes. Like wise in 66 (sixty six) polling booths the petitioner polled less than 20 (twently) votes in comparison to 28 polling booth where the respondent polled less than 20 votes. This has happened because of the rigging and false voting in favour of respondent, facilitated by the presiding officers.

5. That, the electronic voting machines have been tempered with, in the office of the returning officer and also by presiding officers in polling booths. False votes have been allowed to be cast in favour of respondent while the genuine voters were not allowed to cast their votes. As per the rule the green paper seal is required to be affixed in the E. V. M. to seal it and before doing so signature of polling agents, have to be obtained, presiding officer is required to keep record of the green paper seal in proforma 17-C as provided in conduct of election rules. The record is required to be submitted alongwith EVMs in the office of returning officer. However in the instant case though the EVMs have been deposited by presiding officer but record of green paper seal have not been deposited till 11 p.m. leaving sufficient time to temper the EVMs.

6. That, even at the time of counting of votes rules have not been followed. As per the rules after completion of every round of counting the tally should be announced and then only next round of counting should be started. But in the instant case after completion of third or fourth round the tally (vote count) or first round was announced and this process continued till the end. There were differences in the tally prepared on the table & announced by the returning officer on public address system. There was sufficient time gap between completion of counting round and announcement of tally leaving much time for manipulation in the counring. The petitioner has been leading in most of the counting rounds and he was ahead of respondent but all of a sudden in last two three round he started trailing behind and ultimately declared defeated by close margin of 4418 votes. The petitioner's counting agents raised objection but they have been threatened and intimidated by police and there by cowed down.

7. That, though there was rigging not only in election process including polling and counting as the margin was very low petitioner moved an

application for tabulation instead of recounting, the demand was accepted but no error was found in tabluation of the votes.

8. That, the respondent got himself elected by unfair and corrupt means by misusing the election machinery and therefore his election as Member of the Lok Sabha from 9 Satna constituency deserve to be quashed. The petitioner has cause of action to file this election petition before this Hon. Court."

7. The petitioner has filed an affidavit in support of the election petition. For ready reference entire affidavit, which contains only two paras, is reproduced as under :—

"1. That, I am filling the annexed election petition challenging the Election of respondent from 9 Satna Constituency.

2. That, contents of para 1 to 9 of the petition, they are in regard to facts are true to my personal knowledge and belief and also on the basis of the information supplied to me in this regard and regarding law, I believe them to be true on the advaice given to me in this ragard."

8. Now the legal position in respect of filing of an affidavit in a case where the election petition is filed on the basis of corrupt practice may be looked into. Rule 94-A of the Rules provided as under :—

"94-A Form of affidavit to be filed with election petition- The affidavit referred to in the proviso to sub-section (1) of Section 83 shall be sworn before a magistrate of the first class or a notary or a commissioner of oaths and shall be in Form 25."

The aforesaid provision specifically provides that the affidavit provided in the proviso of sub-section (1) of Section 83 shall be sworn in Form No. 25. Section 83(1) read as under :—

"83. **Contents of petition**—(1) An election petition—

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(b) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice; and

(c) shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) for the verification of pleadings;

[Provided that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of the allegation of such corrupt practice and the particulars thereof.]"

The aforesaid proviso specifically provide that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of the allegations of such corrupt practice and the particulars thereof, Form No. 25 of the Rules provides an affidavit in a prescribed form. For ready reference form No. 25 is quoted as under:—

"Form 25
(see rule 94A)

I, ... the petitioner in the accompanying election petition calling in question the election of Shri/ Shrimati . . . . . (respondent No. . . . . in the said petition) make solemn affirmation/oath and say—

(a) that the statements made in paragraphs . . . . of the accompanying election petition about the commission of the corrupt practice of . . . . . and the particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs . . . . of the same petition and in paragraphs . . . . . of the Schedule annexed thereto are true to my knowledge;

(b) that the statements made in paragraphs . . . . . of the said petition about the commission of the corrupt practice of . . . . . and the particulars of such corrupt practice given in paragraphs . . . . . of the said

petition and in paragraphs of the Schedule annexed thereto are true to my information;

(c)

(d)

Signature of deponent.

Solemnly affirmed/sworn by Shri/Shrimati . . . . . at . . . . . this . . . . . day of . . . . .19 . .

Before me, Magistrate of the first class/Notary/Commissioner of Oaths.."

As stated hereinabove, the affidavit filed by the petitioner is not in the form prescribed in Rule 94-A. The petitioner herein, inspite of the filing of the objections under Order 7 Rule 11 CPC on 3-9-2009, has not made any prayer before this Court for filing an affidavit as provided under Rules 94-A.

9. Now the legal position in this regard may be looked into. In V. Narayanswami (supra) the Apex Court considering this legal issue held that the affidavit must affirm not only to the form prescribed in substance but also contain particulars as prescribed by the Rules, otherwise the petition would be liable to be rejected at the threshold. The Apex Court further held in para 23 and 26 of the judgment that a petition levelling a charge of corrupt practice is required by law to be supported by an affidavit and the election petitioner is obliged to disclose his source of information in respect of the commission of corrupt practice. He must state which of the allegations are true to his knowledge and which to his belief on information received and believed by him to the true. It is not the form of the affidavit but its substance that matters. To plead corrupt practice as contemplated by law it has to be specifically alleged that the corrupt practices were committed with the consent of the candidates and that a particular electoral right of a person was affected. It cannot be left to time, chance or conjecture for the Court to draw inference by adopting an involved process of reasoning. Where the alleged corrupt practice is open to two equal possible inferences the pleadings of corrupt practice must fail. Where several paragraphs of the election petition alleging corrupt practices remain unaffirmed under the verification clause as well as the affidavit, the unsworn allegations could have no legal existence and the Court could not take cognizance thereof. Charge of corrupt practice being quasiicriminal in nature, the Court must always insist on strict compliance with the provisions of law. In a petition on the allegation of corrupt practices, cause of action cannot be equated with the cause of action as is normally understood because of the consequences that follow in a petition based on the allegations of corrupt practices. An election petition seeking a challenge to the election of a candidate on the allegation of corrupt practices is a serious matter, if proved not only that the candidate suffers ignominy, he also suffers disqualification from contesting the election for a period that may extend to six years. Filing of the affidavit as required is not a mere formality. By naming a document as an affidavit it does not become an affidavit. To be an affidavit it has to conform not only to the form prescribed in substance but has also to contain particulars as required by the Rules.

10. In this case from the perusal of the pleadings and the affidavit filed by the petitioner, there is no iota of doubt that the petitioner failed to plead material facts alleging corrupt practice and to file affidavit in this regard. In absence of which, the petition on the aforesaid ground of corrupt practice is liable to be dismissed.

11. Para 3 of the election petition does not disclose any allegations of the corrupt practice or unfair means allegedly used by the respondent herein. In para 4 of the petition, the petitioner has made certain vague allegations against returning officer about appointing presiding officer belonging to the Kurmi caste, the caste to which the respondent belong but has not furnished any particulars in respect of appointment of such presiding officers of Kurmi caste at some Polling booths. No particulars about booth number or name of such officers are furnished. Apart from this, the petitioner ought to have alleged in what manner these presiding officers helped and supported the respondent in voting by adopting unfair methods. Though the allegations are in respect of bogus voting in favour of the respondent but by which presiding officer, at which booth the bogus voting took place, has not been pleaded, in absence of which, the allegations in para 4 of the election petitioner are apparently vague in nature.

12. In respect of rigging of election in Parasamania polling booth No.101, though alleged but without any particulars. In absence of particulars, no inference or findings can be recorded in favour of the petitioner. In later part of para 4, the petitioner alleged that at 55 polling booths

the petitioner polled 0-9 votes, only at 8 polling booths respondent polled 0 to 9 votes and at 66 polling booths the petitioner polled less than 20 votes in comparison to 28 polling booths where the respondent polled less than 20 votes. But without making specific allegation in this regard no cause of action arose to the petitioner for filing such an election petition.

In absence of such particulars, whether an election petition can be entertained, the legal position has been considered by the Apex Court recently in **Anil Vasudev** [supra] wherein the Apex Court held that an election petition can be summarily dismissed, if it does not furnish the cause of action in exercise of power under the Code of Civil Procedure. Appropriate orders in exercise of powers under the Code can be passed if the mandatory requirements provided by Section 83 of the Act to incorporate the material facts in the election petition are not complied With.

13. Now the allegations in respect of EVMs as stated by the petitioner in para 5 of the election petition may be looked into. The petitioner has stated that though the EVMs were deposited by the presiding officers' but records of green paper seal were not deposited till 11 P. m. leaving sufficient time to temper the EVMs. But no particulars have been furnished by the petitioner in respect of EVMs of a particular booth. Apart from this, there are no pleading that in fact any such objection was raised by the petitioner herein before the Election Officer in respect of tempering of the EVMs.

14. In para 6 of the election petition the petitioner has alleged that at the time of counting of votes, rules were not followed. It is alleged that after completion of every round of counting, tallying could have been announced and then only next round of counting could have been started. In the election in question, after completion of third or fourth round, the tally of first round were announced and this process continued till the end of counting. It is alleged that there were difference in tally prepared on the table and announced by the Returning officer on Public Address System. But what was infact announce and what was the difference has not been pleaded in para 6 of the petition. The petitioner simply stated that he was leading in most of the counting rounds and he was ahead of the respondent and all of a sudden in the last two, three rounds he was trailing, by itself is not a ground to draw any inference that there was any irregularity or illegality in counting of the votes. It will be pertinent to mention that in fact no particulars have been furnished by the petitioner in para 6 of the election petition pleading a cause of action or making out a case of interference in the election or affecting the result of election substantially on the basis of alleged non announcement of tally immediately after the completion of round of counting.

15. In para 7 the petitioner has stated that his application for tabulation was accepted but no error was found in tabulation of the votes. In para 8 of the election petition, petitioner has stated that the respondent got himself elected by unfair and corrupt means by misusing the election machinery, therefore, his application deserves to be quashed. As stated herein above the petitioner has not furnished particulars and material facts to make out a case under section 83 of the Act in absence of which, this Court left with no option except to dismiss the election petition because of non furnishing of material facts particulars in the election petition alleging corrupt practice and irregularities. Apart from this, an affidavit as required under Rule 94-A has also not been file by the petitioner.

In so far as the contention of the petitioner that the copy of the election petition was not attested as true copy is concerned, from the perusal of the copy of the election petition served on the respondent, it is apparent that on every page, the petitioner has stated true copy and below it he has signed. The aforesaid is the sufficient compliance of the rules. See **Ram Prasad Sarma vs. Mani Kumar Subba** [2003(1) SCC 289]. In view of the settled position of the law by Ram Prasad (supra) on this ground, the election petition cannot be dismissed at the threshold. So this contention of the respondent is found without merit.

16. As the contention of the respondent in respect of non pleading material facts and particulars in the petition, non-filing of the affidavit as required under Rule 94-A of the Rules are found merit, so this Court has no option except to dismiss the election petition summarily.

In view of the aforesaid, application filed by the respondent is allowed. The election petition filed by the petitioner is dismissed but with no order as to costs.

Sd/-
(KRISHN KUMAR LAHOTI)
Judge,

By order,
Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 3 जून 2010

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के जरिये सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, निम्न अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर/एकड़)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी मालवा	दमाडिया	2.269	कार्यपालन यंत्री, लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र. 1, होशंगाबाद.	सिवनी मालवा बायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) उक्त भू-अर्जन से संबंधित नक्शा/प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

होशंगाबाद, दिनांक 14 जून 201

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के जरिये सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, निम्न अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर/एकड़)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी मालवा	बराखडकलां	3.818	कार्यपालन यंत्री, लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र. 1, होशंगाबाद.	सिवनी मालवा बायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) उक्त भू-अर्जन से संबंधित नक्शा/प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के जरिये सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, निम्न अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर/एकड़)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी मालवा	बानापुरा	4.546	कार्यपालन यंत्री, लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र. 1, होशंगाबाद.	सिवनी मालवा बायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) उक्त भू-अर्जन से संबंधित नक्शा/प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के जरिये सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, निम्न अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर/एकड़)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी मालवा	धपाडिया	3.200	कार्यपालन यंत्री, लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र. 1, होशंगाबाद.	सिवनी मालवा बायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) उक्त भू-अर्जन से संबंधित नक्शा/प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस अधिसूचना के जरिये सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, निम्न अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर/एकड़)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	सिवनी मालवा	बराखडखुर्द	4.623	कार्यपालन यंत्री, लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र. 1, होशंगाबाद.	सिवनी मालवा बायपास मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) उक्त भू-अर्जन से संबंधित नक्शा/प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 4 जून 2010

प्रकरण क्र. 1-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	मरहटी प. ह. न. 73 बन्दों. नं. 703	0.08	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	मरहटी नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 2-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	जुझारी प. ह. न. 47 बन्दों. नं. 271	0.10	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	जुझारी-उमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 3-अ-82-09-10-भू-अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा अर्जित रकबा (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	मुहलाझिर प. ह. न. 6 नं. ब. 382	बोरबेल (0.30 हेक्टे. में निर्मित)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, पनागर.	मदना वितरण की उपशाखा की M3 R1 नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जून 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 620-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	अमदरा	0.376	कार्यपालन यंत्री, न. घ. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 621-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	रोहनिया	0.740	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 622-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	रैगवा	0.209	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-10-पत्र क्र. 623-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	सुहौला	0.314	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.एफ-10-पत्र क्र. 624-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पनसोखरा	0.425	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.एफ-10-पत्र क्र. 625-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	गुमेही	0.718	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.एफ-10-पत्र क्र. 626-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नयागांव	1.484	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. संभाग क्रमांक 9, सतना.	सतना रीवा मुख्य नहर

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 7 जून 2010

रा. मा. क्र. 22 अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 238-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बचई	0.325 हे.	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.ब.लो.सा. डिसनेट संभाग, नरसिंहपुर.	समनापुर माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा. मा. क्र. 23 अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 238-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	समनापुर	1.234 हे.	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.ब.लो.सा. डिसनेट संभाग, नरसिंहपुर.	समनापुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा. मा. क्र. 24 अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 238-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि

राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	महमदपुर	2.243 हे.	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.ब.लो.सा. डिसनेट संभाग, नरसिंहपुर.	मुरलीपौंड़ी एवं समनापुर माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा. मा. क्र. 25 अ-82 वर्ष 2009-10 पत्र क्र. 238-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	अगरिया	0.212 हे.	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.ब.लो.सा. डिसनेट संभाग, नरसिंहपुर.	समनापुर माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

गाडरवारा, दिनांक 15 जून 2010

3 अ-82 वर्ष 09-10-पत्र क्र. 08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	मोहड	2.000 हे.	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर	पलोहा से सोकलपुर सड़क निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

04 अ-82 वर्ष 09-10-पत्र क्र. 08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	आडेगांवखुर्द	0.651 हे.	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

05 अ-82 वर्ष 09-10-पत्र क्र. 08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	देगुंवा	0.995 हे.	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर	करपगांव, खमरिया, आमगांव सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

06 अ-82 वर्ष 09-10-पत्र क्र. 08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	करपगांव	0.591 हे.	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर	करपगांव, खमरिया, आमगांव सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 10 जून 2010

क्र. 1799-भू-अर्जन-रीडर-2010-राजस्व प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ	भीमफलिया (पिटोल)	8.27	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, लिमिटेड, इन्दौर.	इन्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट विस्तार हेतु भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 11 जून 2010

क्र. भू-अर्जन-474.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

अर्जन हेतु सम्पादित की जाने वाली भूमि का विवरण				अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	आगर	बिजनाखेड़ी निजीभूमि	2.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, आगर.	बिजनाखेड़ी तालाब की मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर (वन एल. वन) के निर्माण हेतु.

नोट.—(1) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण (1) कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर एवं (2) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 14 जून 2010

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला/ तहसील	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर/ बुरहानपुर	मोहम्मदपुरा	514	0.10	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बुरहानपुर.	ताप्ती शुद्धिकरण संयंत्र योजनान्तर्गत 6 एम. एल. डी. संयंत्र के निर्माण हेतु.

नोट.— अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान), कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 15 जून 2010

क्र. 8148-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	सागौर	0.198	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार (म. प्र.)	ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना से प्रभावित ग्रामों के निवासियों के आवागमन के लिये रास्ते के निर्माण से प्रभावित होने से.
		कल्याणसीखेड़ी	0.115		
		खण्डवा	0.327		
		सुहागपुरा	0.645		
		आसूखेड़ी	0.725		
		गोदगांव	0.589		
		योग . .	2.599		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 16 जून 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4(1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	त्योंदा	3.596	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु शेष भूमि का अधिग्रहण.
		योग रकबा	3.596		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बघरूं मध्यम परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4(1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	दानमढ़ी	3.173	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	दानमढ़ी मध्यम जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु शेष भूमि का अधिग्रहण.
		योग रकबा . .	3.173		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दानमढ़ी जलाशय परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 17 जून 2010

क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2006-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.मे)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			सर्वे क्र.	रकबा		
ग्वालियर	डबरा	बांसी	44	0.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	सिंध रमौआ लिंक नहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			52	0.07		
			53	0.020		
			61	0.064		
			63	0.54		
			88	0.19		
			87	0.02		
			89	0.03		
			90	0.021		
			92	0.33		
			94/1	0.21		
			98	0.30		
			99	0.08		
				3.35 हैं.		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 18 जून 2010

क्र. भू-अर्जन-11-(अ-82)-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	खम्हरिया प.ह.नं. 56	2.55 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला.	खम्हरिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 18 जून 2010

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 368-10-अ-82-2006-07-2918.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	छोटकीटोला	5.240	उप महाप्रबन्धक, रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट, शहडोल मध्यप्रदेश.	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर, जिला शहडोल म. प्र. में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 368-11-अ-82-2006-07-2919.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	सोनवर्षा	4.980	उप महाप्रबन्धक, रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट, शहडोल मध्यप्रदेश.	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के कोल बेड मिथेन प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 21 जून 2010

क्र. 7874-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	अमिलिया	1.999	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	अमिलिया जलाशय (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 7875-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	पाली	2.096	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	पाली जलाशय (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 7876-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	छिरहा टोला	0.771	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	छिरहा टोला जलाशय (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

अनूपपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्र. 7943-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये विभाग प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विभाग प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	लालपुर	0.768	कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक.	कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के द्वितीय परिसर के निर्माण हेतु आवंटित भूमि में जाने के लिए मार्ग निर्माण हेतु.
		योग . .	0.768		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

अनूपपुर, दिनांक 25 जून 2010

क्र. 8071-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	कोतमा	रेउन्दा	29.302	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	झिरियाटोला जलाशय (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 8072-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	कपरिया	13.166	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	कपरिया जलाशय (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 जून 2010

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	मझगुवां अमान हिनौताकलां निवाई माफी	33.19 30.65 19.21	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	पिपरिया जलाशय योजना बांध एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.
		योग . .	83.05 हे.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता पिपरिया जलाशय योजना बांध एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 जून 2010

क्र. 5367-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-राजना ब.नं.-502 प.ह.नं.-43/75 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा	0.929 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	नवलगांव तीनफाटा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5368-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	ग्राम-केकड़ा ब.नं.-72 प.ह.नं.-59 रा.नि.मं. इकलबिहरी	01.740 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	नवलगांव तीनफाटा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 जून 2010

क्र. 603-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ''अ'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	रजहा टीकर	0.060	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर लोवर सिहावल के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 28 जून 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-2007-08-भू.अ.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	गुड़ेहा बं.नं. 33 प.ह.नं. 20	11.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी.	गुड़ेहा पिपरा जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
		लुकामपुर बं.नं. 33 प.ह.नं. 20	3.40		
		योग . .	14.79		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 मई 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—महराजपुर

(ग) ग्राम—मानपुरा, प. ह. नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल—75.944 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
3/1	0.075
3/3	0.136
3/4	0.126
3/5	0.151
3/6	0.107
3/8	0.607
3/9	0.607
3/10	0.607
3/13	0.597
3/14	0.035
3/15	0.381
12/1/2	0.125
18/1	0.072
18/2	0.221
19/1	0.436
19/2	0.170
20/2	0.056
23	0.081
24	0.154
25	0.105
26	0.101
27	0.129
28	0.176
30	0.056
31/1	0.276
31/2	0.276
32	0.021
33	0.021
35	0.161
36	0.231
37	0.146
38/1	1.570
38/2	0.445
39/1	0.921
39/2	0.709
40	1.275
41/1	0.629
41/2	0.959
41/3	1.168
41/4	1.481
41/5	1.003
42	0.436
43	0.214
44	0.239
45	0.243
46	0.291
47	0.049
48	0.518
49	0.065
50	0.243
51	0.364
52	1.157
53	0.295
55	0.567
56	0.261
60	0.202
66	0.381
70	0.020
71	0.53
72	0.952
74	1.149
75	1.493
76	1.632
78/1	0.993
78/2	0.113
79	1.457
80	0.429
81	0.991
82	0.190

(1)	(2)
84	0.551
85	1.145
86	0.615
87	0.963
88	0.821
89/1	1.319
89/2	0.384
91	0.619
92	0.878
93	0.156
94	0.798
96	0.097
97	2.608
99	0.452
100	0.243
101	0.130
123	1.521
125	2.916
127/1	0.501
127/2	0.501
127/3	0.501
129	1.169
130	0.235
131	1.449
132	0.688
133	1.388
134	0.785
135	0.502
137	0.858
138	0.624
139	1.376
140	1.178
141	0.704
142	0.607
143	1.056
144	1.955
146	1.772
147	6.232
148	1.348
149/1	0.443
150	1.221
156	0.550
157/1	0.008
योग	75.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नौगांव में किया जा सकता है.

लौंड़ी, दिनांक 28 मई 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—महराजपुर

(ग) ग्राम—मुखर्रा, प. ह. नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल—117.192 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.401
3	1.210
4	0.677
5/1	0.396
5/2/1	0.078
7	0.163
8	0.854
9	0.688
10/1	0.825
10/2	0.405
11	1.125
13	2.926
14	0.595
15/1	0.182
15/2	0.170
16	0.563
17	0.227
18/1	0.223
18/2	0.223
18/3	0.226

(1)	(2)	(1)	(2)
19/1	0.300	43	0.397
19/2	0.938	44	0.809
20	1.161	45	1.108
21	0.668	46	0.906
22/1	0.656	47	0.829
22/2	0.655	48	0.097
23	0.494	49	0.502
24/1	0.907	50	0.150
24/2	0.910	51	1.295
24/3	0.910	52	0.480
25	1.773	53	0.044
26	2.039	54/1	0.410
28/1	0.140	56/1	1.010
28/2	0.244	56/2	0.104
28/3	0.244	71	0.288
29/1	0.340	74/1	1.408
29/2	0.340	75	0.837
29/3	0.340	76	0.696
29/4	0.104	77/1क	1.602
30/1	0.646	77/1ख	0.595
30/2	0.138	78	0.656
30/3	0.065	79	0.178
31/1	0.061	80	0.890
31/2	0.068	81/1	0.251
31/3	0.061	81/2	0.251
32/1	0.483	81/3	0.251
32/2	0.244	82/1	0.733
32/3	0.487	82/2	0.663
33/1	0.050	82/3	0.183
34	0.866	83	0.470
35/1	0.692	84	0.267
35/2	0.692	85/1	0.809
36/1	3.035	85/2मिन 1	0.478
37/1	0.360	85/2मिन 2	0.830
37/2	0.364	85/3	0.925
37/3	0.374	86/1	0.688
37/4	0.109	86/2	0.486
37/5	0.109	86/3	0.445
37/6	0.110	86/4	0.125
38	0.595	87	0.906
39	0.057	88	0.421
40	1.635	89	0.793
41	1.352	90	0.802
42	1.408	91/1	0.733

(1)	(2)	(1)	(2)
91/2	0.732	241	0.206
93/1	0.219	242	0.291
93/2	0.218	243	0.320
93/3	0.093	244	0.202
94	0.129	245	0.073
95	0.729	246	0.219
96	0.150	247	0.955
97	0.032	248	0.117
98	0.987	249/1	0.101
99/1	0.303	249/2	0.101
99/2	0.304	249/3	0.101
100	0.587	249/4	0.098
101	0.336	250/1	0.089
102	0.417	250/2	0.089
103	0.372	250/3	0.089
105	0.963	250/4	0.089
192	0.031	252	0.032
208	0.045	253	0.401
209	0.220	254	0.049
210	0.178	255	0.274
211	0.124	256	0.259
217/1	0.809	257	0.146
217/2	0.033	258	0.016
219/1	0.054	259	0.036
219/2	0.107	260/1क	0.031
220/1/1	0.253	260/1/ख	0.032
220/1/2	0.253	260/1/ग	0.032
220/2	0.550	260/1/घ	0.032
220/3/1	0.195	260/1/ङ	0.031
220/3/2	0.416	260/2	0.158
222	0.219	263/1	0.043
223	1.664	263/2	0.042
225	0.065	264	0.274
227	1.238	266/2	0.108
230	0.178	268	0.256
231	0.259	269/1	0.200
232	0.089	269/2	0.200
233	0.344	269/3	0.200
234	0.032	269/4	0.200
235	0.417	269/5	0.114
236	0.057	271/1	1.675
237	0.372	271/2/क	0.227
238	0.170	271/2/ख	1.448
240	0.198	272/1	1.920

(1)	(2)	(1)	(2)
272/2	0.800	471	0.162
272/3	0.800	472	0.150
273	0.559	473	0.081
274	0.753	474	0.239
276	0.436	475	0.040
277	0.490	476/1	0.200
420	0.023	476/2	0.095
421/1	0.056	477/1	0.111
421/2	0.057	477/2	0.112
422	0.101	478	0.263
423	0.073	479	0.170
424/1	0.045	480/1	0.051
424/2	0.044	480/2	0.051
425	0.117	481/1	0.060
426	0.085	481/2	0.061
427	0.077	482/1	0.210
428	0.036	482/2	0.106
431	0.032	484	0.142
432	0.024	498/1	0.062
434	0.049	498/2	0.062
435	0.032	498/3	0.062
436	0.028	498/4	0.062
437	0.045	542	0.026
438	0.024	543	0.076
439	.0.016	544	0.030
440	0.016	545	0.057
441	0.036	546	0.170
442	0.032	547	0.109
443	0.057	548	0.206
444	0.235	549	0.194
451	0.192	550	0.154
452	0.057	551	0.073
453	0.121	552	0.267
454	0.097	555	0.219
460	0.058	556	0.567
461	0.093	557	0.085
462	0.372	559	0.219
463	0.190	560	0.150
465	0.672	561	0.053
466	0.073	562	0.146
467	0.595	563	0.154
468	0.049	564	0.040
469	0.340	565	0.206
470	0.425	566	0.283

(1)	(2)
567	0.073
569/1	0.365
569/2	0.364
569/3	0.364
569/4	0.364
570/1	0.032
570/2	0.032
571	0.192
572	0.166
573	0.304
582	0.160
889	0.064
890	0.077
891	0.134
892	0.113
893	0.121
894	0.030
895	0.036
900	0.047
901	0.502
902	0.053
903	0.283
906	0.065
927	0.130
928	0.056
985	0.644
988	0.117
989	0.081
990	0.332
991	0.178
992	0.012
995	0.037
996/1	0.020
996/2	0.020
1019	0.031
1020	0.033
1021	0.065
1028	0.208
1029	0.182
1030	0.215
1031	0.007
1035	0.287
1036	0.202
1037	0.129
1038	0.057
1039	0.178
1040	0.364
1042	0.273
1043	0.328
1044	0.113
1045/1	0.065
1045/2	0.064
1047/2	0.160
1048	0.097
1049	0.105
1050/1	0.020
1050/2	0.020
1051	0.172
1056	0.330
1069	0.357
1072	0.115
योग . .	117.192

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नौगांव में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—महराजपुर

(ग) ग्राम—नटुवा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—61.082 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.825
4	0.166

(1)	(2)	(1)	(2)
5	0.206	77	0.392
6	0.599	78	0.028
7	0.501	79	0.028
10	1.566	82	0.464
11	1.470	83	0.652
12	0.280	84	0.780
17	0.260	85	0.012
41	1.241	87	0.040
42	0.319	89	0.240
43	0.619	90	0.902
44	0.922	91	0.200
45	1.894	96/1	0.175
46	0.200	187	0.095
47	1.963	188	0.105
48	0.972	193	0.188
49	0.487	194	0.041
50	1.012	196	0.391
51	0.991	198/1	0.280
52	0.478	198/2	1.070
53	0.435	199	0.401
54	0.466	203	0.390
55	0.024	205	0.219
56	1.963	206	0.186
57	1.092	207	0.061
58	0.121	208	0.299
59	0.518	211	1.011
60	0.113	212	1.437
61	2.854	213	0.539
62	0.486	214	1.534
63	0.340	215	1.064
64	0.271	216	0.210
65	1.153	217	0.543
66/1	1.457	218	1.120
66/2	0.547	219	0.825
68/1	0.170	220	0.591
68/2	0.998	221	0.405
69	0.250	222	0.182
70	0.113	223	0.522
71	0.110	224	0.186
72	0.140	225	0.930
73	0.413	227/1	1.171
74	0.506	227/2	1.172
75	0.194	229	0.550
76	0.518	230	1.189

(1)	(2)
231/1	0.270
231/2	0.180
231/3	0.025
231/4	0.090
233	1.153
234	0.290
235	0.521
236	0.281
237	0.223
238	0.285
239	0.016
246	0.202
248	0.232
249	0.781
251/1	0.652
251/2	0.058
252/1	0.492
252/2	0.100
253	0.188
योग . .	61.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

छतरपुर, दिनांक 29 जून 2010

प्र. क्र. 13-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची का वर्ग एक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—जमुनया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 0.998 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/2	0.301
13/1	0.213
15/1	0.190
177	0.294
कुल योग (निजी भूमि)	0.998

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची का वर्ग में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—खजवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 7.071 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
126	1.036
385	0.185
431	0.315
441/1	1.645
433	1.056
466	0.321
856/1	0.250
857/1	0.167
871/1	0.011
872/1	0.013
884	0.085

(1)	(2)
1699	0.028
4148/139	0.785
4149/1451	1.084
1543/4	0.090
450	भूमि का मुआवजा मिल चुका है, कुआ का शेष.
1194	भूमि का मुआवजा मिल चुका है, कुआ का शेष.
कुल योग (निजी भूमि)	7.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भावना वालिंवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 3 जून 2010

रा. प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10 भू. अ. अ..—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—ढ़ीमरखेड़ा
(ग) ग्राम—गौरा, प. ह. नं. 118/25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
881	0.19
900	0.32
905	0.67
889	2.04
891	0.26
937	0.86
899	0.32
982	0.04
978	0.20
873	0.07
906	0.41
981	0.12
880	0.10
935	0.26
882	1.52
888	0.09
971/1	0.36
908	0.50
909	0.88
980/1	0.10
942	0.09
890	0.38
883	0.47
904	0.36
910	0.25
912	0.02
344/5	0.16
898	0.33
886	0.12
885	1.11
976/2	0.47
975/2	0.10
977/3	0.09
934/3	0.20
973	0.50
977/1	0.09
974	0.51
936	1.47
975/1	0.10
976/1	0.46
977/2	0.09
917	0.09
913	0.10
884	0.76
903	0.30
972/6	0.12

(1)	(2)
887	0.32
907	1.52
934/2	0.40
972/5	0.20
971/2	0.02
939	1.30
897	0.14
902	1.01
901	0.39
1014/1	0.12
596	0.23
653	0.12
683	0.08
686	0.07
858	0.10
861	0.02
361	0.10
681	0.01
503	0.03
542	0.05
380	0.02
502	0.04
376	0.02
629	0.09
869	0.01
630	0.12
372	0.05
480	0.01
485	0.10
523	0.06
537	0.07
722	0.18
574	0.11
509	0.02
538	0.04
541	0.05
631	0.12
679	0.06
680	0.07
682	0.06
867	0.02
524	0.02
364	0.04
573	0.12
872	0.11
678	0.06
868	0.02
कुल . .	26.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गौरा जलाशय/नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी बहोरीबंद जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 4 जून 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-10- प्रकरण क्रमांक क्यू-भू-अर्जन-2009-10-228.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—मुंगावली
(ग) नगर/ग्राम—मूंडरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.441 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12/1 ख 5	0.180
12/1 ख 7	0.720
15	0.188
16	1.440
23/1	0.144
23/2	0.120
23/3	0.400
23/4	0.039

(1)	(2)
58/1/2	0.120
58/1/4	0.090
योग . .	3.441

(2) प्यासी तालाब की डूब भूमि बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में कार्यालीयन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 10 जून 2010

प्र. क्र. 8-अ-82-08-09-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—घाटीगांव
(ग) नगर/ग्राम—पार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.326 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
194	1.136
235 मिन	0.239
242	0.157
738	0.042
998/4	0.637
999/3	0.115
योग . .	1.326

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हिम्मतगढ़ तालाब की दांयी तट नहर निर्माण हेतु ग्राम पार की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 16 जून 2010

पत्र क्र-क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—गुदरी, कम्हारी, कुलवा, चीलघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.31 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-गुदरी	
12	0.09
27	0.08
29	0.04
19	0.11
30	0.05
16	0.08
22	0.07
56	0.38
83	0.06
84/2	0.06
87/1	0.06
87/2	0.06
87/3	0.06
योग . .	1.20
ग्राम-कुम्हारी	
226	0.03
229	0.02

(1)	(2)
230	0.02
231	0.04
233	0.05
234/1	0.07
236/3	0.01
250	0.10
242	0.10
238	0.01
239	0.10
249	0.10
298	0.11
969/1	0.01
969/2	0.01
969/3	0.01
970	0.08
971	0.12
972	0.15
973/1	0.06
973/2	0.08
974	0.20
976	0.20
977/1	0.15
978	0.10
योग . .	1.93

ग्राम-कुलुवा

259	0.08
258	0.05
331	0.11
383	0.05
258	0.02
255	0.09
289	0.08
348	0.001
260	0.06
282	0.06
344	0.008
347	0.10
योग . .	0.72

ग्राम-चीलघाट

280	0.10
266	0.04
279	0.06
298	0.05
281	0.05
278	0.04
267	0.11
282	0.070
324	0.03
263/1	0.24
299	0.130
323	0.01
269	0.07
297	0.08
325	0.16
265	0.02
326	0.12
268/2	0.08
योग . .	1.46
महायोग . .	5.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गुदरी हाई केनाल नहर क्षेत्र में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र-क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—जबेरा
- (ग) नगर/ग्राम—घानामैली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—21.624 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
173	0.34
175/1	0.40

(1)	(2)
175/2	1.55
175/3	0.39
178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6	2.88
179	1.45
180	0.57
181/1	0.05
182/2	0.05
181/3	0.05
181/4	0.05
182	0.22
183	0.22
184	0.84
960	0.18
961	0.48
1027/1, 1027/2	0.24
1028	0.41
1029	0.54
1030	1.07
1031	0.35
1032/1	0.28
1032/2	0.35
1032/3	0.35
1034	0.33
173/1	0.06
171	0.30
187	0.06
163	0.05
162	0.05
231/1	0.08
229	0.06
236	0.04
237	0.032
872	0.06
871	0.04
826	0.072
827	0.052
818	0.016
830	0.028
816	0.06
769	0.04
770	0.088
780	0.24
782	0.024
783	0.096
784	0.028
785/1	0.052
785/2	0.052
1035/1	0.19
1035/2	0.11
1035/3	0.15
1037	0.25
1038	0.30
1039	0.33
1040/1	0.15
1041	0.27
1042/1	0.25
1042/2	0.30
1043/1	0.60
1043/2	0.65
1044	0.80
1045	0.72
1046	0.14
1054	0.75
1055	0.08
1058	0.48
कुल योग . .	21.624

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—घानामैली जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र-क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—जबेरा

(ग) नगर/ग्राम—मंगरई, हरदुआ सडक, जलेहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.77 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-मंगरई	
296	1.88
297	0.35
298	0.67
299	0.55
300/1	0.32
300/2	0.33
300/3	0.33
301	0.53
286/1	0.14
286/5	0.14
286/2	0.28
286/3	0.08
285	0.32
287	0.95
290/1	0.61
288	0.53
289	0.84
290/2	0.62
292	0.73
291/1	0.31
293/1	0.18
291/2	0.16
293/3	0.09
216	0.06
215	0.12
293/2	0.75
294/1	0.18
294/2	0.56
295	0.75
285	0.06
284	0.06
276	0.03
283	0.09
282	0.01
281	0.08
279	0.04
280	0.07
277	0.07
275	0.10
261	0.12
260	0.08
236	0.35
238	0.02
234	0.03
242	0.05
243	0.03
232	0.09
244	0.17
224	0.04
225	0.04
योग . .	14.99
ग्राम-सड़क हरदुआ	
1082	0.28
1144	0.12
1083	0.56
1084	0.42
1085	0.49
1149	0.54
1086	0.52
1087	0.68
1088	0.68
1125	0.05
1122/2	0.10
1120	0.20
1121	0.07
1118	1.18
1115	0.34
1114	0.60
1113	0.26
1112	0.26
1111	0.28
1110	1.94
1109	0.68
योग . .	10.25
ग्राम-जलेहरी	
677	0.04
678	0.09
679	0.20
687	0.20
योग . .	0.53
महायोग . .	25.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मंगरई जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र-क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा

(ग) नगर/ग्राम—पटीमहाराजसिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.92 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
716	0.07
718	0.22
717	0.22
719	0.12
720	0.02
721	0.01
722	0.02
723	0.12
724	0.52
725	0.63
726	2.58
727	0.34
736/1	0.40
736/2	0.37
737	0.37
738	0.68
739	0.10
707	0.13
708	0.15
709/1	0.11
710	0.24
728	0.22
729	1.06
730	2.27
731/1	1.10
731/2	1.67
731/3	1.10
731/6	1.85
731/7	1.60
732	1.59
733	0.47
734	0.61
735	1.05
729	0.20
701	0.21
305	0.01
306	0.05
307	0.02
312	0.07
313	0.06
492	0.04
493	0.09
495	0.15
496	0.07
497	0.06
499/1	0.16
494	0.05
500	0.07
501	0.05
513/2	0.01
514	0.03
516	0.18
517	0.03
518	0.01
731/4	1.10
731/5	0.38
523	0.11
524	0.18
525	0.14
731/6	1.85
519	0.05
520	0.14
521	0.15
522	0.04
कुल योग . .	25.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पटीमहाराजसिंह जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दमोह, दिनांक 22 जून 2010

पत्र क्र-क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा
(ग) नगर/ग्राम—धरीमाल, दुलहरा, सैलवाड़ा, पाठादो, दोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.01 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-धरीमाल	
2	0.86
15	0.19
17	0.99
19	2.17
4	0.05
योग . .	4.26
ग्राम-दुलहरा	
17/1	0.80
17/2	0.85
17/3	1.10
17/4	0.70
19	1.45
योग . .	4.90
ग्राम-सैलवाडा	
213	0.74
214	1.62
212	1.05
216	5.02
217	1.47
211	0.33
योग . .	10.23
ग्राम-पाठादो	
358	0.04
360	0.11
202	0.14
259	0.09
255	0.01
252	0.08
253	0.05
254	0.08
205/1	0.03
205/2	0.03
योग . .	0.66
ग्राम-दोनी	
377	0.46
374	0.04
372	0.10
371	0.05
341	0.09
342	0.03
343	0.02
344	0.06
338/384	0.06
298	0.05
योग . .	0.96.
कुल योग . .	21.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—गहरानाला जलाशय के बांध एवं नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दमोह, दिनांक 25 जून 2010

क्र. क-भू.अ.अ.-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पथरिया
(ग) नगर/ग्राम—करैया लखरौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
367 में से	0.26
380/3 में से	0.32
370 में से	0.09
368 में से	0.07
381 में से	0.08
योग . .	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पथरिया, किन्द्रहो, जेरठ मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-भू.अ.अ.-10-1511.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) नगर/ग्राम—जमुनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.26 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
242 में से	0.13
240/1 में से	0.04
240/3 में से	0.05
240/2 में से	0.04
योग . .	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हिण्डोरिया, बिलाई मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 17 जून 2010

क्र. 1A भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 1A-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-340-1-सअ-2010 दिनांक 1 जून 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेंसी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—बड़माढई खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.798 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1422	0.192
1423	0.077
1430	0.133
1431	0.050
1432	0.064
1436	0.005
1437	0.206
1439	0.069
1440	0.259
1468/1	0.202
1468/2	0.186
1468/4	0.078
1470	0.391
1471	0.130
1475	0.100
1477	0.114
1478	0.086
1479	0.291
1480	0.096
1481	0.094

(1)	(2)
1483	0.279
1537	0.058
1540	0.226
1545	0.390
1554	0.022
योग . .	3.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 4A भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 4A-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-340-1-सअ-2010 दिनांक 1 जून 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेंसी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—नगारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.106 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
764	1.348
768	0.682
769	0.551
771	0.360
772	0.693
773	2.863
778/1	0.169
779	0.134
781	0.283
782	0.267
783	0.186
787	0.283
788	0.882
791/2	0.405
योग . .	9.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं वेस्ट वियर तथा स्पिल चैनल का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 7A भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 7A-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-338-1-सअ-2010 दिनांक 1 जून 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेंसी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—रामनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.050 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.067
4/2	0.062
5	0.109
9	0.098
13	0.074
14	0.057
15/1	0.026
15/2	0.019

(1)	(2)
16/1	0.006
16/2	0.027
18	0.171
19	0.080
24	0.054
25	0.160
29	0.161
100/1	0.029
100/2	0.001
101/1	0.004
101/2	0.005
106	0.003
107	0.048
108	0.127
109	0.034
110	0.006
576	0.018
578	0.104
580	0.036
581	0.010
582	0.062
583	0.063
584	0.054
586	0.126
587	0.068
653/1	0.056
653/2	0.095
658	0.010
659	0.006
660	0.184
663	0.077
665	0.109
666	0.044
677/1	0.061
678/अ/1	0.041
678अ/2	0.156
678/ब	0.005
678 स	0.062
678 क	0.028
678/2	0.004
684/1	0.114
684/2	0.029
योग . .	3.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8 भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 8-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-337-1-सअ-2010 दिनांक 1 जून 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेसी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—लार खास

(घ) लगभग क्षेत्रफल—48.012 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1129	0.008
1130	0.012
1227	0.109
1229	0.40
1230	0.004
1231	0.020
1232	0.304
1233	0.287
1234	0.081
1235	0.045
1236	0.129
1237	0.020
1238	0.045
1239	0.142
1240	0.101
1241	0.219

(1)	(2)	(1)	(2)
1242	0.093	1294	0.146
1247	0.105	1295	0.158
1249	0.150	1296	0.117
1250	0.061	1298	0.036
1251	0.336	1299	0.522
1252	0.028	1300	0.036
1253	0.478	1301	0.057
1254	0.219	1302	0.105
1255	0.291	1303	0.322
1258/1	0.753	1305	0.131
1258/2	0.429	1311	0.211
1258/3	0.502	1433	0.033
1260	0.445	1434	0.101
1261	0.129	1435	0.281
1262	0.170	1769	0.793
1263	0.291	1770	0.065
1264	0.093	1771	0.571
1265	0.045	1772	0.117
1266	0.170	1773	0.134
1267	0.174	1774	0.158
1268	0.057	1775	0.061
1269	0.247	1776	0.061
1270	0.129	1777	0.077
1271	0.097	1778	0.138
1272	0.255	1779	0.057
1273	0.413	1780	0.032
1274	0.089	1781	0.077
1275	0.097	1782	0.028
1278	0.611	1783	0.065
1279	0.583	1784	0.178
1280	0.129	1785	0.045
1281	0.077	1786	0.049
1282	0.024	1787	0.162
1283	0.020	1789	0.134
1284	0.065	1790	0.097
1285	0.032	1791	0.206
1286	0.061	1792	0.421
1287	0.607	1793	0.008
1288	0.081	1794	0.018
1289	0.121	1811	0.484
1290	0.097	1812	0.070
1291	0.258	1813	0.168
1292	0.263	1815	0.081
1293	0.186	1816	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
1817	0.053	1887	0.109
1818	0.028	1888	0.125
1819	0.024	1889	0.142
1820	0.081	1890	0.121
1821	0.032	1892	0.231
1822	0.061	1893	0.097
1823	0.036	1894	0.166
1824	0.036	1895	0.312
1825	0.073	1896	0.069
1826	0.040	1897	0.081
1827	0.247	1898	0.150
1828	0.219	1899	0.117
1830	1.218	1900	0.409
1832	0.040	1901	0.045
1833	0.064	1902	0.210
1834	0.146	1903	0.283
1837	0.135	1904	0.409
1846	0.109	1905	0.134
1847	0.393	1906	0.024
1848	0.148	1907	0.105
1852	0.172	1908	0.089
1853	0.166	1909	0.186
1854	0.072	1910	0.166
1866	0.036	1911	0.142
1867	0.085	1912	0.093
1868	0.045	1913	0.142
1869	0.045	1914	0.194
1870	0.081	1915	0.069
1871	0.081	1916	0.020
1872	0.061	1917	0.020
1873	0.109	1918	0.036
1874	0.081	1919	0.101
1875	0.077	1920	0.073
1876	0.040	1921	0.045
1877	0.154	1922	0.040
1878	0.154	1923	0.040
1879	0.019	1924	0.089
1880	0.016	1925	0.142
1881	0.121	1926	0.045
1882	0.121	1927	0.085
1883	0.026	1928	0.089
1884	0.037	1929	0.016
1885	0.037	1930	0.036
1886	0.032	1933	0.081

(1)	(2)
1934	0.081
1935	0.089
1936	0.146
1937	0.125
1938	0.085
1939	0.109
1940	0.267
1941	0.040
1942	0.190
1943	0.134
1944	0.579
1945	0.287
1946	0.020
1947	0.077
1948	0.069
1949	0.271
1950	0.227
1951	0.053
1952	0.364
1953	0.202
1954	0.553
1955	0.340
1956	0.490
1957	0.514
1958	0.097
1959	0.101
1960	0.190
1961	0.458
1962	0.138
1963	0.146
1964	0.077
1966/1	2.886
1966/2	1.214
1966/3	1.011
1967	0.425
1968	0.721
1969	0.417
1970	0.344
1971	0.032
1972	0.251
1973	0.285
1974/1	0.359
1974/2	0.454
1975	0.809
1976	0.095
1978	0.371
1982	0.120
1983	0.233
1984	0.472
1985	0.283
1986	0.586
1987	0.696
1988	0.251
1989	0.142
1990	0.093
1991	0.028
1992	0.028
1993	0.149
1994	0.124
1997	0.097
2006	0.089
1865/2116	0.023
योग . .	48.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 9 भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 9-ए-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-339-1-सअ-2010 दिनांक 1 जून 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेसी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—बड़माढ़ई ऊगड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.933 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149/1	0.104
149/2	0.041
150/1	0.013
150/2	0.006
152	0.097
153	0.051
154	0.020
155	0.332
156	0.081
157	0.486
158	0.870
159	0.206
160	3.212
166	0.624
169	0.539
170	0.746
171	0.862
172	0.194
173	0.012
174	0.194
175	0.802
177	0.405
179	0.089
180	0.555
181	0.150
182	0.057
183	0.125
185	0.101
186	0.049
188	0.065
189	1.048
190	0.959
191	0.057
192	0.656
193	0.405
194	0.267
195	0.271
196	0.490
197	0.372
198	0.388
200	0.644
201	0.930
203	0.498
204	1.297
205	0.296
207	0.764
208	0.906
214	0.634
222	0.118
223	0.108
224	0.084
243	0.223
247	0.105
248	0.061
249	0.258
255	0.214
257	0.154
259	0.072
260	0.095
263	0.146
264	0.064
265	0.113
286	0.09
292	0.058
योग . .	23.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध निर्माण एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 21 जून 2010

क्र. 7874-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—अमिलिया

(घ) क्षेत्रफल—1.999 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/21 क अंश	0.202
179/26 अंश	0.081
189/1 अंश	0.012
179/1घ अंश	0.202
179/19 अंश	0.202
179/13 अंश	0.138
178/1क अंश	0.061
178/1 ख अंश	
177/1 ग अंश	0.028
177/5 क अंश	0.097
177/5 ख 1 अंश	0.061
177/1 ख अंश	0.028
177/1 स अंश	0.121
177/9 अंश	0.081
176/2 अंश	0.040
172/1क/2 अंश	0.142
172/1क/1 अंश	0.092
172/2क/2 अंश	0.061
169/2 अंश	0.008
170/2ख अंश	0.121
172/2क/1 अंश	0.060
163/14 अंश	0.020
191/2 अंश	0.141
योग . .	1.999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अमिलिया जलाशय (नहर) योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 7875-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—अनूपपुर

(ग) ग्राम—पाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.096 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
06 अंश	0.140
51 अंश	0.182
46/1 ख अंश	0.20
46/2 अंश	0.20
47 अंश	0.222
50 अंश	0.141
186/1 घ अंश	0.048
49 अंश	0.141
52 अंश	0.020
186/1 ख अंश	0.048
57 अंश	0.061
58 अंश	0.081
61 अंश	0.061
65 अंश	0.202
126 अंश	0.121
142 अंश	0.040
201 अंश	0.40
204 अंश	0.40
193/1 ख अंश	0.040
194 अंश	0.081
199 अंश	0.101
186/2 अंश	0.004
143 अंश	0.202
146 अंश	0.040
योग . .	2.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पाली जलाशय (नहर) योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 7876-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—छिरहा टोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.771 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
310/1 अंश	0.030
212 अंश	0.050
625 अंश	0.030
624 अंश	0.008
632 अंश	0.020
628 अंश	0.030
629/1 अंश	0.030
642/2 अंश	0.022
642/1 अंश	0.20
651 अंश	0.030
650 अंश	0.025
925/1 अंश	0.053
925/312 अंश	0.050
925/319 अंश	0.053
922/2 अंश	0.380
922/1 अंश	0.363
870/2 अंश	0.040
301 अंश	0.030
302 अंश	0.050
307 अंश	0.050
308 अंश	0.050
279 अंश	0.057
309 अंश	0.053
1194/1 अंश	0.030
1193 अंश	0.030
1186 अंश	0.030
1186 अंश	0.030
1095 अंश	0.030
925/2 अंश	0.020
1092/4 अंश	0.020
630 अंश	0.023
योग . .	0.771

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—छिरहा टोला जलाशय (नहर) योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 22 जून 2010

प्र. क्र. भू-अर्जन-09-491.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—गुलाना
(ग) ग्राम—पोलायखुर्द
(घ) क्षेत्रफल— 52.371 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना हैं (हेक्टर में)
(1)	(2)
386	0.084
387	0.230
388	0.126
408	0.836
411	0.011

(1)	(2)
412	0.157
579/2	
592/2/2	0.857
581/1	0.100
394	0.011
402	
मिन 403	0.052
404	
421/1	0.366
424/1	0.052
406/1	0.157
406/2	0.324
407	0.596
413/1	0.073
416/1/5	0.281
417/1	0.139
417/2	0.641
417/4	0.466
413/2	0.084
414	0.627
415	0.941
581/2	0.293
583	0.408
584	0.031
585	0.167
592/1	0.126
416/1/1	0.296
416/1/2	0.523
416/1/4	0.255
417/3	0.164
416/1/3	0.348
416/2	0.031
416/3	0.031
418	0.125
419	0.063
420	0.157
421/2	0.219
421/3	0.418
424/3	0.052
421/4	0.747
422/1	0.063
421/5	0.747
422/2	0.115
423	0.188

(1)	(2)
424/4	0.627
424/2	0.941
425	2.813
426	0.084
434	0.178
435	0.888
436	1.557
437	0.084
438	0.366
439	0.345
573/4	0.052
427	0.805
441	0.146
524	
525	0.031
526	
530	0.418
5731/2/3	0.836
मि. 542	0.052
मि. 542	0.370
573/1/2/3	0.836
मि. 542	0.052
मि. 542	0.011
546	0.136
547	0.407
1058	0.136
527, 552/2	0.184
549	0.240
552/1	0.418
579/1, 592/2/1	0.836
मि. 550	0.261
578/2	0.261
578/3	0.209
मि. 550	0.251
551	0.502
553	0.752
554	0.732
555	0.157
571/2/1, 573/3/1	1.223
571/2/2, 573/3/2	1.045
573/2/2/2	0.219
573/1/2/2	0.836
573/1/3	1.796
573/5	0.711

(1)	(2)
573/1/4	2.508
573/1/5/1	1.254
573/1/5/2	1.254
मि. 573/2/1/1	0.435
573/2/2	1.359
573/2/1/1	0.871
575	0.951
576/3	0.052
576/1	0.616
576/2	0.324
577	0.271
578/1/1	0.439
578/1/2	0.284
614, 615, 616	0.564
593	0.993
594	0.338
595	1.232
596/1	0.721
596/4	0.309
599	0.314
597	0.449
608	0.026
617, 618, 619	0.021
मि. 528/2	0.157
मि. 528/2	0.052
431/1, मि. 431/2, 432, 433	0.021
431/1, मि. 431/2, 432, 433	0.209
598	0.052
963/7	0.167
963/8	0.105
मि. 574	0.441
योग . .	52.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पोलायखुर्द तालाब डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. भू-अर्जन-09-492.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, निम्नानुसार भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—शाजापुर

(ग) ग्राम—हामली, वीरागांव, भण्डेडी, अरोलिया, बिजाना, हरियाणी, गागोरनी.

(घ) क्षेत्रफल— 0.90, 3.01, 3.11, 5.28, 1.50, 0.78, 0.36 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)
(1)	(2)
(1) ग्राम—हामली	
23	0.05
24	0.03
25	0.08
26	0.09
27	0.06
38	0.06
39	0.05
41	0.08
43	0.06
43	0.03
44	0.05
48	0.11
67	0.15
योग . .	0.90
(2) ग्राम—बीरागांव	
3/1	0.07
3/2	0.08
4/1	0.11
4/2	0.10
7	0.06
8	0.07
14	0.10
13/1	0.08
13/2	0.08
19	0.05
21	0.20

(1)	(2)
22	0.18
44	0.05
44/382	0.07
45/1	0.10
45/2	0.07
47/1	0.12
47/2	0.06
48	0.12
51	0.06
218	0.04
219	0.03
220	0.03
221	0.05
222	0.03
223	0.05
224	0.10
316	0.08
317	0.09
318	0.06
319	0.05
351	0.15
352	0.07
354/1	0.04
356	0.05
357	0.08
359	0.11
193/1	0.07
योग . .	3.01

(3) ग्राम—भण्डेडी

71	0.14
72	0.05
73	0.03
77	0.03
79	0.05
80	0.05
81	0.04
84	0.05
85	0.04
120	0.04
121/1	0.04
121/2	0.04
122/1	0.04
122/2	0.03
122/870	0.04
123	0.04
124	0.06
395	0.04
396	0.04
397	0.05
403	0.06
414	0.10
445	0.06
446/1	0.07
446/2	0.05
447	0.04
448	0.04
449	0.15
304	0.06
307	0.04
308	0.03
363	0.01
364	0.04
368	0.05
328	0.05
326	0.05
305	0.04
290	0.06
289	0.05
288	0.06
276/1	0.05
276/2	0.03
274/1	0.03
272/1	0.06
267	0.10
268	0.10
269	0.08
271	0.10
598	0.06
597	0.08
595	0.04
594	0.07
480	0.07
579	0.07

(1)	(2)
370	0.07
371	0.05
योग . .	3.11

(4) ग्राम—अरोलिया

16	0.06
17	0.40
18	0.06
148	0.03
147	0.03
144	0.07
142	0.04
140	0.06
23	0.04
24	0.03
25	0.04
27	0.03
39/2	0.06
136	0.04
134	0.04
130	0.04
39/1	0.03
41	0.10
40	0.25
104	0.10
105	0.17
107	0.09
109	0.06
110	0.07
111	0.06
112	0.03
391/1	0.06
391/2	0.06
380/1	0.05
380/2	0.04
379/1	0.06
379/2	0.05
359	0.04
346	0.08
497	0.07
496	0.05
498	0.06
499	0.05
500	0.04
503	0.04
504	0.43
505	0.30
528	0.11
527	0.15
583	0.10
584	0.20
582	0.07
585	0.15
581	0.08
574	0.07
573	0.05
572	0.04
571	0.04
570	0.06
575	0.04
576	0.05
556	0.05
557	0.04
558	0.06
559	0.04
561	0.02
562	0.22
567	0.08
28	0.03
392	0.02
योग . .	5.28

(5) ग्राम—बिजाना

684	0.09
685	0.10
687	0.10
690	0.10
730	0.05
731	0.14
732	0.04
742	0.04
746	0.10
1103	0.05
1124	0.09
1126	0.20
1096	0.05
1097	0.05

(1)	(2)
1098	0.10
1127	0.20
योग . .	1.50

(6) ग्राम—हरियाणी

631	0.03
629	0.04
57/1	0.01
58	0.17
54	0.08
326	0.03
169	0.05
170	0.02
150	0.10
153	0.20
154	0.02
156	0.03
योग . .	0.78

(7) ग्राम—गागोरनी

229	0.02
288	0.02
287	0.03
274	0.10
211	0.12
207	0.02
208	0.02
209	0.03
योग . .	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चौमा बिजाना सड़क हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैखर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 24 जून 2010

प्र. क्र. 12-अ-82-08-09-1023-आर-2-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—टोंकखुर्द

(ग) ग्राम—चौबाराधीरा

(घ) क्षेत्रफल— 3.180 हेक्टर.

सर्वे नं.	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.04
5	0.05
6	0.04
7	0.04
8	0.28
13/1, 896, 20, 22, 23	0.61
13/2	0.16
94, 124, 126, 132	0.69
17/2	0.03
21/1	0.09
21/2	0.09
95/1	0.30
897/1	0.04
897/2	0.12
899	0.09
900	0.03
909	0.06
1004	0.28
1008	0.14
योग . .	3.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यंकता है—भैसाखेडी तालाब की नहर निर्माण हेतु डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) के निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-08-09-1029-आर-2-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—टोंकखुर्द

(ग) ग्राम—भैसाखेडी

(घ) क्षेत्रफल— 1.393 हेक्टर.

सर्वे नं.	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/3, 4, 358/3	0.134
5	0.063
17/1, 19/1	0.140
17/2, 19/2	0.100
17/3	0.003
34	0.014
35	0.006
41	0.018
15	0.012
44, 45	0.042
54	0.103
86	0.174
292	0.032
297	0.093
449/1	0.135
450/1	0.078
450/2	0.054
451	0.048
456	0.120
480	0.024
योग . .	1.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भैसाखेडी तालाब की नहर निर्माण हेतु डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) के निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलतासिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 जून 2010

क्र. 8546-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन, अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—गंधवानी

(ग) नगर/ग्राम—इन्दला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—47.964 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
135/2	0.015
136/1	0.042
136/2	0.920
137	1.609
138	0.554
139	0.439
140	0.742
141	1.055
144	0.366
145	0.439
146	0.105
147	0.836
148	0.690
149	1.641
152	0.086
154	1.118
158	1.129
159/2	0.053

(1)	(2)
160	0.165
162	0.242
164	0.136
168	2.414
170	0.763
172	0.596
174	0.805
177	0.878
179	0.366
183/1	2.738
183/2	2.090
184/2	0.052
184/3	0.031
185	1.278
186	1.975
187	0.157
189	0.105
190	0.084
191	2.195
192	0.230
194	0.397
196	0.313
197/2	0.160
197/3	0.157
199	2.059
200	0.205
209	0.293
211	0.283
213	0.261
214	0.271
221	1.839
222	0.240
223	0.387
224/1	1.703
224/2	0.711
226	0.418
229/1	0.418
229/2	0.052
230/1	0.276
230/2	0.251
231	0.637
233	1.327
237	0.219
238	0.405
240	0.014
242	0.094
243	0.355
245	0.178
246	0.627
247	0.355
249	0.428
251	0.763
253	0.013
268	0.272
269	0.272
270	0.345
271	0.009
272	1.003
273	0.470
274	0.345
योग . .	47.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इन्दला तालाब निर्माण अंतर्गत डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग मनावर जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 25 जून 2010

क्र. 739-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—करोंदिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.574 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
74/2	0.262
79/1	0.137

(1)	(2)
79/2	0.150
80/1	0.083
80/2	0.075
80/3	0.082
81	0.087
82	0.075
83	0.075
85/3	0.075
86/1	0.206
86/2	0.206
89	0.305
90/1	0.162
90/2	0.170
95/7/1	0.212
95/8	0.212
कुल योग . .	2.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 94-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—मूसामूडी
(घ) क्षेत्रफल—208.900 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(3)	(3)
2	0.360	0.360
3	0.920	0.880
4	0.990	0.990
5	0.930	0.930
10	1.420	1.420
12	1.420	1.420
13	0.490	0.490
14	0.430	0.430
15	0.400	0.330
16 मि 1/1	0.150	0.150
16 मि 2	0.060	0.050
16 मि 3	0.060	0.060
17	0.610	0.550
18	0.090	0.090
20	0.650	0.650
21	0.080	0.080
25/1	0.400	0.400
25/2	0.200	0.200
26	1.000	1.000
27	0.080	0.080
28	0.660	0.660
29	0.010	0.010
30	0.010	0.010
31/1	1.170	1.130
31/2	1.170	1.130
31/3	1.170	1.130
31/4	0.650	0.610
32/1	1.120	1.060
32/2	1.770	1.720
32/3	1.360	1.310
33/1	0.400	0.330
33/2	1.770	1.700
33/3मि 1	1.070	1.010
33/मि2	0.200	0.200
33मि3	0.200	0.200

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
33मि4	0.200	0.200	68	0.230	0.230
33मि5	0.200	0.200	69	0.200	0.200
33मि6	0.100	0.100	70	0.320	0.320
33मि7	0.100	0.100	71	0.020	0.020
33मि8	0.200	0.200	72	0.200	0.200
33मि9	0.100	0.100	73	0.040	0.040
34	0.460	0.460	74	0.380	0.380
35/1	0.700	0.700	75	0.020	0.020
35/2	1.130	1.130	76	0.230	0.230
38	0.370	0.370	77	0.450	0.450
39	0.510	0.510	78	0.810	0.810
40/1मि.1	0.090	0.090	79	0.030	0.030
40/1मि.2	0.060	0.060	80	0.420	0.420
40/2	0.400	0.400	83	0.810	0.810
41	0.280	0.280	84	0.030	0.030
42	0.360	0.360	85	0.500	0.500
43	0.220	0.220	86	0.230	0.230
44	0.240	0.240	87	0.240	0.240
45	0.390	0.390	88	0.180	0.180
46	0.290	0.290	89	0.040	0.040
47	0.040	0.040	90	0.200	0.200
48	0.330	0.330	92	0.370	0.370
49	0.460	0.460	93	0.010	0.010
50	0.120	0.120	94	0.860	0.860
51	0.490	0.490	95	0.250	0.250
52	0.270	0.270	96	0.020	0.020
53मि.1	0.100	0.100	97	0.030	0.030
53मि.2	1.690	1.690	98	0.180	0.180
54	0.250	0.250	99	0.270	0.270
55	0.660	0.660	100	0.020	0.020
56	0.620	0.620	101	0.020	0.020
57	0.850	0.850	102	0.280	0.280
58	0.170	0.170	103	0.190	0.190
59	0.800	0.800	104	0.520	0.520
62	0.170	0.170	105	0.020	0.020
64	0.010	0.010	106	0.240	0.240
65	0.010	0.010	107	0.150	0.150
66/1	0.430	0.430	108	0.800	0.800
66/2	0.420	0.420	109	0.010	0.010
67	0.190	0.190	112	0.020	0.020

(1)	(2)	(3)
114	0.850	0.850
115	0.040	0.040
116	0.230	0.230
117	0.050	0.050
118	0.090	0.090
120	0.860	0.860
121	0.050	0.050
122	0.300	0.300
123	0.040	0.040
124	0.140	0.140
125	0.040	0.040
126मि1	0.920	0.920
126मि2	0.060	0.060
126मि3	0.060	0.060
127	0.480	0.480
128	0.310	0.310
129	0.060	0.060
130	1.340	1.340
131	0.030	0.030
132/1	0.520	0.520
132/2	0.140	0.140
132/3	0.510	0.510
133/1	0.460	0.460
133/2	0.400	0.400
133/3	0.400	0.400
134	0.760	0.760
135/मि1	0.160	0.160
135मि2	0.080	0.080
135मि3	0.060	0.060
135मि4	0.080	0.080
135मि5	0.060	0.060
135मि6	0.080	0.080
135मि7	0.080	0.080
135मि8	0.060	0.060
135मि9	0.080	0.080
135मि10	0.060	0.060
136	1.230	1.230
137	0.320	0.320
138	0.430	0.430
139	0.270	0.270
140	0.180	0.180
141/1मि1/1	1.572	1.530
141/1मि2	0.060	0.060
142	0.620	0.620
143	0.130	0.130
144	0.200	0.200
145मि1	0.521	0.520
145मि2	0.001	0.001
145मि3	0.001	0.001
145मि4	0.001	0.001
145मि5	0.001	0.001
145मि6	0.001	0.001
145मि7	0.001	0.001
145मि8	0.001	0.001
145मि9	0.001	0.001
145मि10	0.001	0.001
146	0.510	0.390
147	0.390	0.320
148	0.670	0.670
150/1	0.240	0.200
150/2	0.530	0.500
151मि1	0.300	0.250
152मि1	0.110	0.110
152मि2	0.050	0.050
153/1	0.120	0.120
153/2	0.120	0.120
153/3	0.120	0.120
154	0.570	0.570
155	0.330	0.330
156	0.490	0.490
157	0.260	0.260
158/1	0.250	0.250
158/2	0.250	0.250
159/1	0.730	0.730
159/2	0.250	0.250
160/1	0.250	0.250
160/2	0.250	0.250
161	0.160	0.160
162	0.140	0.140
163	0.150	0.150

(1)	(2)	(3)
164	0.150	0.150
165/1	0.030	0.030
165/2	0.030	0.030
165/3	0.030	0.030
165/4	0.030	0.030
165/5	0.020	0.020
165/6	0.030	0.030
166/1	0.710	0.710
166/2	0.430	0.430
167/1	0.130	0.130
167/2	0.330	0.330
168	0.630	0.630
169	0.250	0.250
170/1	0.120	0.120
170/2	0.170	0.170
171	0.170	0.170
172/2	0.230	0.230
173	0.300	0.300
174/1	0.310	0.310
174/2	0.300	0.300
175/1	0.460	0.460
175/2	0.400	0.400
176/1	0.200	0.200
176/2	0.420	0.420
177मि1	0.480	0.480
177मि2	0.080	0.080
178	0.770	0.770
179	0.240	0.240
180	0.570	0.570
181	1.100	1.100
182	1.150	1.150
183मि1	0.610	0.610
183मि2	0.200	0.200
184	0.490	0.490
185	0.310	0.310
186	0.150	0.150
187	2.220	2.220
189	0.020	0.020
190	0.020	0.020
193	0.240	0.240
194	0.060	0.060
195	0.980	0.980
196/1मि.1	0.200	0.200
196/1मि.2	0.200	0.200
196/1मि.3	0.110	0.110
196/2/5	0.180	0.180
196/2मि1	0.200	0.200
196/2मि2	0.200	0.200
196/2मि3	0.200	0.200
196/2मि4	0.200	0.200
197	0.320	0.320
198	0.150	0.150
199/1	0.040	0.040
199/2क	0.110	0.110
199/2ख	0.110	0.110
199/3	0.220	0.220
200/1	0.060	0.060
200/2	0.060	0.060
200/3	0.060	0.060
200/4	0.060	0.060
200/5	0.040	0.040
200/6	0.040	0.040
200/7	0.060	0.060
200/8	0.060	0.060
200/9	0.020	0.020
200/10	0.030	0.030
200/11	0.020	0.020
201	0.450	0.450
202/1	0.940	0.940
202/2	0.390	0.390
203/1क	0.470	0.470
203/2	1.710	1.710
204	0.150	0.150
205	0.400	0.400
207	0.490	0.490
208	0.580	0.580
209	0.160	0.160
210	0.440	0.440
211	0.630	0.630
212	0.350	0.350

(1)	(2)	(3)
213	0.250	0.250
214/1	0.400	0.400
214/2	0.400	0.400
214/3	0.250	0.250
215	0.280	0.280
216	0.260	0.260
217	1.810	1.810
218	0.800	0.800
219	0.250	0.250
220/1	0.060	0.060
220/2	3.200	3.200
222	0.030	0.030
223	1.190	1.050
224	0.010	0.010
225/1मि1	0.240	0.240
225/1मि2	0.001	0.001
225/1मि3	0.001	0.001
225/1मि4	0.001	0.001
225/1मि5	0.001	0.001
225/1मि6	0.001	0.001
225/1मि7	0.001	0.001
225/1मि8	0.004	0.004
225/1मि9	0.001	0.001
225/1मि10	0.001	0.001
225/1मि11	0.004	0.004
225/1मि12	0.001	0.001
225मि2	0.060	0.060
225/मि3	0.001	0.001
225मि4	0.001	0.001
225/2	0.340	0.340
225/3	0.150	0.150
226	0.440	0.380
227	0.160	0.150
228	0.700	0.570
229/1	0.190	0.190
229/2	0.340	0.340
230	0.360	0.360
231	0.780	0.780
232	0.590	0.560
233	0.650	0.620

(1)	(2)	(3)
234	0.590	0.590
236/1	0.300	0.200
236/2	0.300	0.200
236/3	0.360	0.250
237/1	0.140	0.140
237/2	0.600	0.600
238/1मि1/1	1.310	1.310
238/1मि/2	0.060	0.060
238मि3	0.060	0.060
238मि4	0.060	0.060
238मि5	0.060	0.060
238मि2	0.600	0.600
239	0.110	0.110
240	0.090	0.090
241	0.180	0.180
242	0.690	0.690
243	0.560	0.560
244	0.420	0.420
245	0.560	0.560
246/1	0.030	0.030
246/2	0.500	0.500
247मि1	0.740	0.740
247मि2	0.060	0.060
248	0.150	0.150
249	0.140	0.140
250	0.020	0.020
251मि1/1	0.900	0.900
251मि1/2	0.060	0.060
251मि1/3	0.060	0.060
251मि1/4	0.045	0.045
251मि1/5	0.045	0.045
251मि2	0.060	0.060
251मि3	0.060	0.060
251मि4	0.060	0.060
251मि5	0.060	0.060
251मि6	0.060	0.060
251मि7	0.060	0.060
251मि8	0.060	0.060
251मि9	0.060	0.060
251मि10	0.060	0.060
251मि11	0.060	0.060

(1)	(2)	(3)
251मि12	0.060	0.060
251मि13	0.040	0.040
252	0.100	0.100
253/2	0.050	0.050
254	0.530	0.530
255	1.540	1.540
256	0.250	0.250
257	0.400	0.400
258	0.170	0.170
259	2.100	2.100
260	0.050	0.050
261/1	0.900	0.900
261/2	0.320	0.320
262	0.310	0.310
263	0.950	0.950
264	0.700	0.700
265	0.150	0.150
266/1	0.520	0.520
266/2	0.200	0.200
267	0.400	0.400
268	0.160	0.160
269	0.150	0.150
270	0.500	0.500
271/1	0.060	0.060
271/2	0.240	0.240
272	0.430	0.430
273मि1/1	0.020	0.020
273मि2	0.060	0.060
273मि3	0.080	0.080
273मि4	0.060	0.060
274मि1/1/1	0.130	0.130
274मि2	0.060	0.060
274मि3	0.060	0.060
274मि4	0.060	0.060
275/1	0.250	0.250
275/2	0.080	0.080
275/3	0.070	0.070
276मि1	0.170	0.170
276मि2	0.200	0.200
276मि3	0.200	0.200
276मि4	0.200	0.200
277/2	0.200	0.200
277/3	0.200	0.200
277/4	0.200	0.200
277/5	0.200	0.200
277मि1	0.090	0.090
277मि2	0.200	0.200
278	0.360	0.360
279	0.320	0.320
280	1.090	1.090
281	0.680	0.680
282	0.050	0.050
283	0.350	0.350
284	0.070	0.070
285	0.930	0.930
286	0.010	0.010
287	0.040	0.040
288	0.620	0.620
289	0.030	0.030
290	0.120	0.120
291/1	0.800	0.800
291/2	0.980	0.980
292	0.030	0.030
293	0.090	0.090
294	0.750	0.750
295	0.050	0.050
296	0.550	0.550
297	0.630	0.630
298	0.040	0.040
299	0.240	0.240
300मि1	0.210	0.210
300मि2	0.200	0.200
301	0.110	0.110
302	0.840	0.840
303	0.080	0.080
304/1मि1/1	0.090	0.090
304/1मि1/2	0.080	0.080
304/1मि1/3	0.100	0.100
304/1मि1/4	0.090	0.090
304/1मि1/5	0.090	0.090

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
304/2	0.150	0.150	319	0.330	0.330
305/1	0.060	0.060	320मि1	0.335	0.335
305/2	0.020	0.020	320मि2	0.015	0.015
306/1	0.370	0.370	321मि1	0.330	0.330
306/2	0.150	0.150	321मि2	0.015	0.015
307/1	0.080	0.080	321मि3	0.015	0.015
307/2	0.060	0.060	322	0.050	0.050
308	0.110	0.110	323मि1	0.020	0.020
309	0.280	0.280	323मि2	0.010	0.010
310	0.160	0.160	324/1क	0.790	0.790
311	0.240	0.240	324/1ख	0.530	0.530
312	0.230	0.230	324/2मि1	0.170	0.170
313/मि1/1	0.895	0.895	324/2मि2	0.060	0.060
313/मि1/2	0.060	0.060	324/2मि3	0.060	0.060
313/मि1/3	0.060	0.060	324/2मि4	0.080	0.080
313/मि 1/4	0.045	0.045	324/3	0.370	0.370
313/मि2	0.060	0.060	325	0.020	0.020
313/मि3	0.060	0.060	326	0.800	0.800
313/मि4	0.060	0.060	327	0.260	0.260
313/मि5	0.060	0.060	328	0.450	0.450
313/मि6	0.060	0.060	329	2.130	2.130
313/मि7	0.060	0.060	330	0.240	0.240
313/मि8	0.060	0.060	331	0.520	0.520
313/मि9	0.060	0.060	332	0.300	0.300
313/मि10	0.060	0.060	336	2.560	2.560
313/मि11	0.060	0.060	337	0.180	0.180
313/मि12	0.060	0.060	338	2.430	2.430
313/मि13	0.060	0.060	339	1.540	1.540
313/मि14	0.060	0.060	340	0.710	0.710
313/मि15	0.040	0.040	341	0.490	0.490
314/मि1	0.470	0.470	342	0.270	0.270
314/मि2	0.020	0.020	343	0.540	0.540
315/1मि1	0.110	0.110	344	1.460	1.460
315/1मि2	0.200	0.200	345	0.080	0.080
315/1मि3	0.200	0.200	346	0.890	0.890
315/1मि4	0.200	0.200	348/1	0.340	0.340
315/2	0.560	0.560	348/2	0.340	0.340
317मि1	0.370	0.370	348/3	0.340	0.340
317मि2	0.020	0.020	348/4	0.340	0.340
318	0.320	0.320	348/5/1	0.340	0.340

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
348/6	0.190	0.190	372/2	0.120	0.120
348/7	0.340	0.340	372/3	0.120	0.120
349	0.020	0.020	373/1	0.880	0.880
350	0.180	0.180	373/2	0.880	0.880
351/1	0.380	0.380	373/3	0.880	0.880
351/2	0.360	0.360	374मि1/1	0.330	0.330
352	1.150	1.150	374मि2	0.100	0.100
353	1.260	1.260	374मि3	0.100	0.100
354	0.510	0.510	375	0.430	0.430
355	0.390	0.390	376	0.320	0.320
356/1	0.490	0.490	377	0.240	0.240
356/2	0.250	0.250	378	0.220	0.220
357	0.020	0.020	379 मिन-1	0.330	0.330
358	0.060	0.060	379 मिन-2	0.060	0.060
359	0.020	0.020	380/1	0.380	0.380
360	0.060	0.060	380/2	0.020	0.020
361/1	0.200	0.200	381	0.340	0.340
361/2	0.200	0.200	382	0.350	0.350
361/3	0.380	0.380	383/1	0.650	0.650
361/4	0.400	0.400	383/2	0.440	0.440
361/5	0.400	0.400	384/1	0.070	0.070
361/6	0.400	0.400	384/2	0.070	0.070
362/1	0.250	0.250	385	0.020	0.020
362/2	0.050	0.050	386/1	0.690	0.690
362/3	0.110	0.110	386/2	0.690	0.690
363/1	0.120	0.120	386/3	0.690	0.690
363/2	0.330	0.330	387	0.157	0.150
364/1	0.960	0.960	388	0.460	0.460
364/2	0.700	0.700	389	0.440	0.440
365मि1	0.490	0.490	390	0.020	0.020
365मि2	0.060	0.060	391	0.510	0.510
366	1.570	1.570	392	0.720	0.720
367	0.220	0.220	393	2.770	2.770
368	0.210	0.210	394	0.020	0.020
369	0.860	0.860	395	0.020	0.020
370	2.430	2.430	397	0.120	0.120
371/1	0.020	0.020	398/1	0.550	0.550
371/2	0.010	0.010	398/2	0.150	0.150
371/3	0.010	0.010	399	1.640	1.640
372/1	0.110	0.110	400	0.260	0.260

(1)	(2)	(3)
401	2.120	2.120
234/403	0.200	0.150
37/404	0.300	0.300
172/1	0.070	0.070
कुल रकबा	210.75	208.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थर्मल ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मझौली, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 96-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—भुमका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—165.270 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जन हेतु रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
346	0.050	0.050
348	0.280	0.280
350	0.740	0.740
352	0.370	0.370
353	1.030	1.030
354	2.180	2.180
356	0.740	0.740
357	1.450	1.450
358	1.350	1.350
359	1.540	1.540
360	0.010	0.010
361	0.040	0.040
362	0.120	0.120
363	0.090	0.090
366	0.340	0.340
367	0.040	0.040
489	0.020	0.020
490	0.540	0.540
491	0.160	0.160
492	0.100	0.100
493	0.530	0.530
494	0.690	0.690
495	0.010	0.010
496	0.150	0.150
497	0.460	0.460
499	0.270	0.270
500	0.030	0.030
502	0.050	0.050
504	0.350	0.350
505	0.040	0.040
506	0.010	0.010
507	0.160	0.160
508	0.050	0.050
510	0.010	0.010
511	0.090	0.090
512	0.010	0.010
514	0.020	0.020
516	0.080	0.080
517/1	0.310	0.310
517/2	0.320	0.320
517/3	0.320	0.320
517/4	0.320	0.320
517/5	0.160	0.160
517/6	0.160	0.160
518	0.080	0.080
521	0.080	0.080
524	0.090	0.090
526	0.530	0.530
527	2.350	2.350
528	0.280	0.280
529	0.080	0.080
530	0.080	0.080
531	0.230	0.230
532	0.160	0.160

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
533	0.150	0.150	571	0.400	0.400
534/1	0.100	0.100	572	0.410	0.410
534/2	0.100	0.100	573	0.110	0.110
535	0.180	0.180	574	0.100	0.100
536/1	0.440	0.440	575	0.100	0.100
536/2	0.440	0.440	576	0.250	0.250
536/3	0.220	0.220	577	0.780	0.780
536/4	0.220	0.220	578	0.490	0.490
536/5	0.880	0.880	579	0.140	0.140
537	0.130	0.130	580	0.150	0.150
538	0.400	0.400	581	0.310	0.310
539	0.180	0.180	582	0.350	0.350
540	0.150	0.150	583	0.350	0.350
541	0.060	0.060	584	0.600	0.600
542	0.210	0.210	585	0.260	0.260
543	2.330	2.330	586	0.260	0.260
544	0.060	0.060	587	0.100	0.100
545	0.010	0.010	588	0.600	0.600
546	0.370	0.370	591	0.360	0.360
547	0.100	0.100	593	0.100	0.100
548	0.010	0.010	594	0.100	0.100
549	0.390	0.390	595	0.100	0.100
550	0.020	0.020	596	0.100	0.100
551	0.710	0.710	598	0.020	0.020
552	0.300	0.300	601/1	0.300	0.300
554	0.430	0.430	601/2	0.190	0.190
555	0.050	0.050	602	0.430	0.430
556	0.160	0.160	605	0.400	0.400
557	0.120	0.120	606	0.500	0.500
558	0.020	0.020	607	0.650	0.650
559	0.010	0.010	608	0.390	0.390
560	0.400	0.400	609	0.020	0.020
561	0.510	0.510	610	0.330	0.330
562	0.780	0.780	611	1.380	1.380
563	0.420	0.420	612	0.410	0.410
564	0.710	0.710	613	0.450	0.450
565	0.740	0.740	614	0.130	0.130
566	0.400	0.400	615	0.320	0.320
567	0.430	0.430	616	1.700	1.700
568	0.420	0.420	620	1.220	1.220
569	0.390	0.390	621	0.010	0.010
570	0.700	0.700	622	0.030	0.030

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
623	1.590	1.590	1320	0.360	0.360
624	0.630	0.630	1321	0.360	0.360
625	0.810	0.810	1322	1.060	1.060
626	0.050	0.050	1323	0.930	0.930
1270	0.300	0.300	1324	0.360	0.360
1271	0.330	0.330	1325/1	1.080	1.080
1272	0.070	0.070	1331	0.220	0.220
1273	0.580	0.580	1332	0.260	0.260
1274	0.120	0.120	1333	0.350	0.350
1275	0.090	0.090	1334	0.410	0.410
1276	0.420	0.420	1336	0.360	0.360
1277	1.350	1.350	1337	0.150	0.150
1280tq	0.310	0.160	1338	0.240	0.240
1291/1	0.310	0.310	1339	0.160	0.160
1291/2	0.320	0.320	1340	0.350	0.350
1292	0.420	0.420	1341	0.160	0.160
1293/1	0.150	0.150	1343	0.300	0.300
1293/2	0.290	0.290	1344	0.300	0.300
1294	0.420	0.420	1345	1.210	1.210
1295	0.180	0.180	1346	0.430	0.430
1296	0.210	0.210	1347	0.390	0.390
1297	0.160	0.160	1348	0.470	0.470
1298	1.750	1.750	1349	0.100	0.100
1299	0.910	0.910	1350/1	0.060	0.060
1300	0.340	0.340	1350/2	0.060	0.060
1303	1.500	1.500	1351/1	0.060	0.060
1304	0.460	0.460	1351/2	0.050	0.050
1306	0.190	0.190	1352	0.190	0.190
1307	0.370	0.370	1353	0.080	0.080
1308	0.380	0.380	1354	0.300	0.300
1309	0.040	0.040	1355/1	0.100	0.100
1310	0.090	0.090	1355/2	0.050	0.050
1311	0.800	0.800	1355/3	0.050	0.050
1312 मि1	0.300	0.300	1355/4	0.060	0.060
1312 मि2	0.060	0.060	1356/1	0.130	0.130
1312 मि3	0.100	0.100	1356/2	0.060	0.060
1313/1	1.000	1.000	1356/3	0.060	0.060
1313/2	1.020	1.020	1356/4	0.070	0.070
1316	0.770	0.770	1357	1.020	1.020
1317	0.630	0.630	1358	0.860	0.860
1318	0.170	0.170	1359	0.390	0.390
1319	0.360	0.360	1360	0.230	0.230

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1361	0.120	0.120	1403	0.570	0.570
1362	0.150	0.150	1404	0.700	0.700
1363	0.680	0.680	1405	1.130	1.130
1364	0.580	0.580	1406	0.240	0.240
1367	0.200	0.200	1407	0.240	0.240
1368	0.330	0.330	1408	0.120	0.120
1369/1	0.420	0.420	1409	2.180	2.180
1369/2	0.230	0.230	1410	0.590	0.590
1370/1	0.030	0.030	1411	0.350	0.350
1370/2	0.050	0.050	1412	0.420	0.420
1371	0.040	0.040	1413	0.440	0.440
1372/1	0.040	0.040	1415	0.760	0.760
1372/2	0.050	0.050	1416	0.480	0.480
1372/3	0.040	0.040	1417	0.700	0.700
1373/1	0.120	0.120	1418	0.740	0.740
1373/2	0.110	0.110	1419	0.360	0.360
1373/3	0.110	0.110	1420	0.200	0.200
1374	0.910	0.910	1421	0.360	0.360
1375	1.080	1.080	1422	0.170	0.170
1376	1.910	1.910	1423	0.540	0.540
1377	0.440	0.440	1424	0.370	0.370
1378	1.870	1.870	1425/2	1.340	1.340
1379	0.040	0.040	1426	0.420	0.420
1380	1.370	1.370	1427	0.420	0.420
1382	2.030	2.030	1428	0.890	0.890
1384	0.490	0.490	1429	0.380	0.380
1386	0.970	0.970	1430	1.210	1.210
1387	0.660	0.660	1431	0.130	0.130
1388/1	0.220	0.220	1432/1	0.080	0.080
1388/2	0.180	0.180	1432/2	0.080	0.080
1389	0.210	0.210	1432/3	0.090	0.090
1390	0.380	0.380	1432/4	0.080	0.080
1391	0.190	0.190	1433/1	0.170	0.170
1392	0.190	0.190	1433/2	0.160	0.160
1393	0.190	0.190	1434	0.210	0.210
1395	0.180	0.180	1435	0.240	0.240
1396	0.790	0.790	1436	0.700	0.700
1397	0.450	0.450	1437	0.240	0.240
1398	0.460	0.460	1438	0.370	0.370
1400	1.040	1.040	1439	0.650	0.650
1401	0.500	0.500	1440	0.080	0.080
1402	1.540	1.540	1441	0.090	0.090

(1)	(2)	(3)
1443	0.140	0.140
1444	0.200	0.200
1445/1	0.870	0.870
1445/2	0.610	0.610
1446	0.290	0.290
1447	0.250	0.250
1448	0.200	0.200
1449	0.320	0.320
1450	0.620	0.620
1452	0.560	0.560
1453	0.260	0.260
1454	0.050	0.050
1455	0.350	0.350
1456	0.250	0.250
1457	0.530	0.530
1458	0.540	0.540
1459	0.350	0.350
1460	0.240	0.240
1461	0.260	0.260
1462	0.160	0.160
1463	0.360	0.360
1464	1.160	1.160
1466	0.510	0.510
1467	0.360	0.360
1468	0.350	0.350
1469	0.680	0.680
1472/1	0.550	0.550
1472/2	0.390	0.390
1473	0.390	0.390
1474	0.390	0.390
1475	0.440	0.440
1476	0.410	0.410
1481	0.310	0.310
1482	0.510	0.510
1484	0.740	0.740
1485	0.260	0.260
1486	0.270	0.270
1487	0.370	0.370
1488	0.680	0.680
1489	0.250	0.250
1490	0.260	0.260
1491	3.730	3.730
1492	0.820	0.820
1493	0.470	0.470
1494	0.470	0.470
1496	0.670	0.670
1497/1	0.310	0.310
1497/2	0.300	0.300
1498	2.360	2.360
1500	0.020	0.020
1502	0.400	0.400
1505	0.540	0.540
1507	0.410	0.410
1508	0.780	0.780
1509	0.220	0.220
1510	0.280	0.280
1512	0.170	0.170
1513	0.250	0.250
1514	0.230	0.230
1515	0.210	0.210
1516	0.410	0.410
1517	0.480	0.480
1518	1.170	1.170
1519	0.590	0.590
1521	4.060	4.060
1522	2.320	2.320
1523/1	0.280	0.280
1523/2	0.280	0.280
1523/3	0.570	0.570
537/1527	0.110	0.110
587/1534	0.100	0.100
587/1535	0.090	0.090
587/1536	0.110	0.110
योग :	165.420	165.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—थर्मल ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मझौली, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 जून 2010

क्र. 599-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—अमरा
(घ) क्षेत्रफल—0.107

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
316	0.027
317	0.080
योग :	0.107

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 601-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—हिनौती
(घ) क्षेत्रफल—0.020

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
840	0.020
योग :	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 603-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—रजहा टीकर
(घ) क्षेत्रफल—0.060

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
306	0.060
योग :	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 605-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्

1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—चमरौहा
(घ) क्षेत्रफल—0.41

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
826	0.360
845	0.050
	योग : 0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 607-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—रामनगर कला
(घ) क्षेत्रफल—0.080

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
1373	0.080
	योग : 0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 609-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—कडियार
(घ) क्षेत्रफल—0.110

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
258	0.020
257	0.070
256	0.020
	योग : 0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 611-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—सवैचा
(घ) क्षेत्रफल—0.180

खसरा नंबर	रकबा
(1)	(2)
144	0.180
	योग : 0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 613-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—डिहुली टीकर, नं. 4
(घ) क्षेत्रफल—0.06 हेक्टर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98	0.05
101	0.01
योग :	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 615-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—डिहुली खास
(घ) क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229	0.02
योग :	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 617-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—चमारी सोनवर्षा
(घ) क्षेत्रफल—0.26 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
183	0.03
195	0.06
311	0.07
313	0.10
योग :	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 जून 2010

क्र. 551-भू-अर्जन-2005-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—बेलहा वृत्त
(घ) क्षेत्रफल—1.754 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25 में से	0.020
23 में से	0.004
27 में से	0.081
28 में से	0.004
32 में से	0.040
26 में से	0.309
141 में से	0.024
140 में से	0.020
139 में से	0.004
142 में से	0.036
159 में से	0.065
156 में से	0.032
143 में से	0.004
160 में से	0.182
158 में से	0.109
155 में से	0.040
157 में से	0.024
154 में से	0.049
169 में से	0.198
320 में से	0.101
322 में से	0.008
321 में से	0.020
355 में से	0.032
319 में से	0.275
325 में से	0.008
33 में से	0.004
योग :	1.693

गैर खाते की भूमि

132 में से	0.061
योग :	0.061
कुल योग :	1.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 553-प्रका-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—भाटी
(घ) क्षेत्रफल—0.210 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80 में से	0.210
योग :	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 555-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—सोनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.151 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
582 में से	0.308
581 में से	0.138
580 में से	0.012
579 में से	0.020
577 में से	0.053
578 में से	0.053
576 में से	0.049
712 में से	0.004
575 में से	0.061
548 में से	0.210
549 में से	0.024
561 में से	0.020
562 में से	0.085
563 में से	0.121
574 में से	0.004
564 में से	0.061
573 में से	0.057
572 में से	0.059
565 में से	0.085
713 में से	0.008
1272 में से	0.012
1274 में से	0.012
571 में से	0.057
570 में से	0.061
567 में से	0.016
568 में से	0.012
569 में से	0.057
583 में से	0.032
613 में से	0.016
688 में से	0.101
689 में से	0.101
690 में से	0.555
691 में से	0.012
687 में से	0.004
711 में से	0.121
714 में से	0.008
730 में से	0.174
731 में से	0.231
732 में से	0.073
733 में से	0.016
720 में से	0.004
724 में से	0.008
723 में से	0.012
722 में से	0.057
726 में से	0.028
727 में से	0.154
725 में से	0.178
1036 में से	0.020
1035 में से	0.057
1034 में से	0.036
1042 में से	0.020
1043 में से	0.045
1048 में से	0.036
1052 में से	0.012
1201 में से	0.036
1044 में से	0.040
1045 में से	0.057
1046 में से	0.073
1047 में से	0.036
729 में से	0.125
1051 में से	0.061
1198 में से	0.045
1199 में से	0.073
1200 में से	0.032
1202 में से	0.016
1203 में से	0.146
1271 में से	0.028
1204 में से	0.158
1205 में से	0.138
1259 में से	0.040
1260 में से	0.032
1206 में से	0.073
1263 में से	0.073
1265 में से	0.004
1264 में से	0.008
1258 में से	0.121
1257 में से	0.036
1256 में से	0.036
1251 में से	0.129
1250 में से	0.024
1255 में से	0.101
1254 में से	0.081
1252 में से	0.008
1253 में से	0.032
1243 में से	0.057
1244 में से	0.008
1247 में से	0.053

(1)	(2)
1248 में से	0.154
1037 में से	0.073
566 में से	0.077
712 में से	0.006
1036 में से	0.004
योग :	6.054

म. प्र. शासन

522 में से	0.057
कुल योग :	6.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 557-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—टिकुरी 224
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.913 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
527 में से	0.073
526 में से	0.040
528 में से	0.182
529 में से	0.097
530 में से	0.004
525 में से	0.328
523 में से	0.020
481 में से	0.332
480 में से	0.008
496 में से	0.008
482 में से	0.348

(1)	(2)
486 में से	0.061
485 में से	0.053
487 में से	0.049
421/1 में से	0.057
488 में से	0.028
422 में से	0.174
280 में से	0.012
418 में से	0.057
390 में से	0.04
391 में से	0.053
392 में से	0.049
393 में से	0.045
385 में से	0.081
384 में से	0.016
382 में से	0.081
381 में से	0.061
380 में से	0.093
281 में से	0.089
283 में से	0.004
370 में से	0.073
279 में से	0.117
278 में से	0.154
276 में से	0.121
275 में से	0.125
274 में से	0.206
292 में से	0.049
293 में से	0.028
294 में से	0.032
295 में से	0.032
273 में से	0.113
280 में से	0.116
योग :	3.609

म. प्र. शासन

484 में से	0.162
273 में से	0.114
200 में से	0.028
योग :	0.304
कुल योग :	3.913

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की टिकुरी माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 559-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—टिकुरी 225

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.476 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76 में से	0.105
73 में से	0.085
240 में से	0.142
75 में से	0.105
74 में से	0.004
91 में से	0.032
246 में से	0.097
92 में से	0.049
93 में से	0.065
68 में से	0.093
67 में से	0.077
66 में से	0.049
65 में से	0.093
121 में से	0.567
254 में से	0.020
253 में से	0.105
248 में से	0.069
242 में से	0.097
197 में से	0.032
191 में से	0.008
192 में से	0.170
174 में से	0.223
175 में से	0.049
196 में से	0.057
194 में से	0.049
195 में से	0.010
योग :	2.452

(1)	(2)
म.प्र. शासन	
114 में से	0.024
योग :	0.024
कुल योग :	2.476

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की टिकुरी माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 561-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—अनन्तपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.213 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
386 में से	0.034
405 में से	0.214
404 में से	0.049
403 में से	0.247
402 में से	0.024
450 में से	0.016
449 में से	0.162
448 में से	0.016
446 में से	0.081
447 में से	0.089
445 में से	0.016
444 में से	0.049
435 में से	0.040
443 में से	0.045
442 में से	0.016

(1)	(2)
421 में से	0.065
437 में से	0.073
441 में से	0.089
440 में से	0.008
422 में से	0.040
438 में से	0.049
423 में से	0.028
431 में से	0.004
434 में से	0.024
433 में से	0.032
514 में से	0.178
513 में से	0.109
529 में से	0.178
530 में से	0.040
531 में से	0.219
532 में से	0.008
573 में से	0.125
574 में से	0.125
579 में से	0.320
568 में से	0.016
567 में से	0.227
564 में से	0.057
605 में से	0.121
606 में से	0.081
604 में से	0.045
603 में से	0.053
602 में से	0.049
272 में से	0.036
273 में से	0.012
607 में से	0.340
608 में से	0.018
270 में से	0.040
271 में से	0.024
274 में से	0.004
265 में से	0.154
263 में से	0.182
264 में से	0.053
277 में से	0.170
259 में से	0.113
258 में से	0.129
257 में से	0.081

(1)	(2)
256 में से	0.097
107 में से	0.142
108 में से	0.081
109 में से	0.138
110 में से	0.012
112 में से	0.243
113 में से	0.010
114 में से	0.020
115 में से	0.069
116 में से	0.097
117 में से	0.024
119 में से	0.081
92 में से	0.004
118 में से	0.036
120 में से	0.028
121 में से	0.004
90 में से	0.101
88 में से	0.012
80 में से	0.101
275 में से	0.004
276 में से	0.020
111 में से	0.016
262 में से	0.004
512 में से	0.004
420 में से	0.004
योग :	6.169
म.प्र. शासन	
89 में से	0.028
81 में से	0.016
योग :	0.044
कुल योग :	6.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की अजगरहा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 563-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—अजगरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.479 हेक्टर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1060 में से	0.042
1061 में से	0.130
1052 में से	0.054
1051 में से	0.022
1030 में से	0.010
1031 में से	0.014
1032 में से	0.190
1028 में से	0.130
1027 में से	0.101
1025 में से	0.051
1024 में से	0.061
1023 में से	0.130
978 में से	0.134
993 में से	0.069
992 में से	0.008
991 में से	0.110
982 में से	0.030
986 में से	0.002
985 में से	0.081
967 में से	0.042
966 में से	0.049
945 में से	0.051
946 में से	0.061
944 में से	0.014
943 में से	0.049
940 में से	0.057
(1)	(2)
938 में से	0.097
935 में से	0.028
934 में से	0.028
930 में से	0.014
933 में से	0.045
932 में से	0.036
420 में से	0.040
409 में से	0.016
410 में से	0.026
419 में से	0.086
418 में से	0.006
413 में से	0.008
414 में से	0.026
411 में से	0.148
412 में से	0.126
322 में से	0.338
324 में से	0.061
323 में से	0.014
338 में से	0.130
343 में से	0.134
344 में से	0.093
345 में से	0.030
346 में से	0.028
347 में से	0.036
1050 में से	0.004
1033 में से	0.004
1062 में से	0.061
योग :	3.367
म.प्र. शासन	
1052 में से	0.054
419 में से	0.028
1059 में से	0.006
329 में से	0.024
योग :	0.112
कुल योग :	3.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की अजगरहा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 565-भू-अर्जन-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—इटहा चौथ 1/2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.651 हेक्टर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61 में से	0.121
62 में से	0.162
63 में से	0.324
65 में से	0.105
70 में से	0.243
71 में से	0.008
77 में से	0.146
84 में से	0.040
85 में से	0.032
86 में से	0.004
87 में से	0.040
99 में से	0.235
97 में से	0.162
89 में से	0.004
96 में से	0.210
161 में से	0.096
162 में से	0.036
163 में से	0.243
164 में से	0.020
166 में से	0.004
144 में से	0.344
165 में से	0.004
345 में से	0.040
योग :	2.623
म.प्र. शासन	
76 में से	0.028
कुल योग :	2.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की इटहा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 567-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—इटहा चौथ 2/2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.320 हेक्टर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
395 में से	0.028
394 में से	0.020
396 में से	0.024
391 में से	0.121
306 में से	0.166
309 में से	0.069
310 में से	0.069
389 में से	0.061
390 में से	0.024
388 में से	0.166
383 में से	0.089
386 में से	0.004
384 में से	0.121
380 में से	0.146
557 में से	0.024
556 में से	0.004
559 में से	0.239
560 में से	0.336
558 में से	0.020
586 में से	0.012
585 में से	0.024
579 में से	0.206
670 में से	0.129
669 में से	0.008
686 में से	0.121
672 में से	0.016
671 में से	0.032
665 में से	0.016
664 में से	0.166
663 में से	0.032

(1)	(2)
662 में से	0.235
777 में से	0.020
778 में से	0.283
781 में से	0.081
780 में से	0.016
782 में से	0.174
788 में से	0.190
786 में से	0.170
787 में से	0.016
792 में से	0.198
727 में से	0.020
726 में से	0.125
725 में से	0.093
724 में से	0.004
723 में से	0.045
722 में से	0.024
721 में से	0.129
718 में से	0.032
714 में से	0.194
713 में से	0.012
705 में से	0.121
704 में से	0.020
349 में से	0.385
348 में से	0.024
351 में से	0.004
350 में से	0.022
345 में से	0.134
योग :	5.264

म. प्र. शासन

387 में से	0.024
578 में से	0.032
योग :	0.056
कुल योग :	5.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रब्यूटरी एवं इटहा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 569-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—उकठी उर्फ हरिहरपुर 45
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.612 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127 में से	0.166
128 में से	0.012
135 में से	0.138
136 में से	0.004
137 में से	0.069
138 में से	0.008
139 में से	0.098
141 में से	0.117
योग :	0.612

(2) सार्वजनिक प्रयोजन. जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की इटहा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 571-प्रका.-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.154 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1071 में से	0.154
	योग : 0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सगरा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 30 जून 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-01-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—भिण्ड
(ग) ग्राम—अकोड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.683 हे.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3025	0.497
3026	0.155
7053	0.031
	योग : 0.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड में किया जा सकता है.

(4) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमि. संभाग, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-02-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—भिण्ड
(ग) ग्राम—विलाव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.043 हेक्टेयर

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1403	0.043
	योग : 0.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड में किया जा सकता है.

(4) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमि. संभाग, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-03-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—भिण्ड
(ग) ग्राम—ऊमरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2426	0.200
योग :	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड में किया जा सकता है.

(4) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमि. संभाग, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-04-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—भिण्ड
(ग) ग्राम—ढ़ोचरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.081 हेक्टेयर

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
560	0.081
योग :	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड में किया जा सकता है.

(4) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमि. संभाग, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यूं-कोर्ट-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-05-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—भिण्ड
(ग) ग्राम—खैराश्यामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.381 हेक्टेयर

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1146	0.415
1148	0.190
1133	0.046
योग :	0.381

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग का मज़बूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड में किया जा सकता है.

(4) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमि. संभाग, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 7 जुलाई 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	साजखेड़ा	159/2	0.925	0.757	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	तालाब योजना.
			156/1	1.975	1.975		
			143/1	1.853	1.380		
			144, 145, 146	1.369	0.481		
			159/3	0.926	0.926		
			156/2/2	4.711	3.456		
			143/2	0.219	0.219		
			153, 154/1/1/1	1.729	1.729		
			153, 154/1/3	1.401	1.401		
			168/143	0.283	0.283		
			153, 154/1/2	1.336	1.336		
			153, 154/1/2/2	1.251	1.251		
			152	0.368	0.368		
			153, 154/2	0.372	0.372		
			150	0.628	0.121		
			143/3	1.165	1.012		
			148	0.943	0.137		
			147	0.210	0.040		
			162, 145/2	0.128	0.128		
		शाहपुर सुल्तानपुर	22	4.108	1.437		
			20/2	2.602	0.016		
			12/2	0.413	0.137		
			17, 18/1	7.119	0.728		
			17, 18/2	7.123	1.335		
			21/1	1.768	0.809		
			21/2	1.768	0.850		
			23/2	1.214	1.044		
			23/1/2	0.405	0.243		
			23/3	0.809	0.607		
			15/1	0.627	0.485		
			15/2	0.788	0.057		
			15/3	1.311	0.364		
			7/5	1.342	0.405		
			9/5	0.405	0.211		
			12/1	0.413	0.389		
			योग ..	53.007	26.489		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.